PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

नवम्बर 2019 | अंक-3

ब्रिक्स सम्मेलन 2019

एक अवलोकन

- धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल : एक विश्लेषण
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा : मानवीय गरिमा पर आघात
- सी.जे.आई. कार्यालय बनाम सूचना का अधिकार
- श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन एवं भारत के लिए उसके मायने
- पश्चिमी हिन्द महासागर में भारत और तटीय अफ्रीकी देश
- ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 : जी-20 देशों के लिए सबक

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**10 Full Length GS Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**5 CSAT Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741
For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

नवम्बर-2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-21

- ब्रिक्स सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन
- धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल : एक विश्लेषण
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा : मानवीय गरिमा पर आघात
- सी.जे.आई. कार्यालय बनाम सूचना का अधिकार
- श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन एवं भारत के लिए उसके मायने
- पश्चिमी हिन्द महासागर में भारत और तटीय अफ्रीकी देश
- ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 : जी-20 देशों के लिए सबक

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 22-30

सात महत्वपूर्ण तथ्य 31

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 32

सात महत्वपूर्ण खबरें 33-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. ब्रिक्स सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ है। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय 'नवोन्मेषी भविष्य के लिये आर्थिक वृद्धि' (Economic Growth for An Innovative Future) रखा गया था।

परिचय

ब्रिक्स देशों की कल्पना वर्ष 2001 में सर्वप्रथम गोल्डमैन सैक (Goldman Sachs) के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने अपने शोधपत्र में किया था। उस शोधपत्र का शीर्षक था– 'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स।' इस कल्पना में ब्राजील, भारत और चीन शामिल थे। जिम ओ नील ने इन देशों की आर्थिक संभावनाओं पर बल दिया था। कुछ समय पश्चात्, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के राजनयिकों के मध्य एक अनौपचारिक राजनीतिक वार्तालाप हुई, तत्पश्चात् यह तय हुआ कि भारत, ब्राजील, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं की वार्षिक बैठक आयोजित होगी। लगभग तीन वर्ष पश्चात् 2009 में रूस के येकाटेरिनवर्ग में वित्तीय व्यवस्था में सुधार के मुद्दे को लेकर इन देशों की पहली बैठक हुई। यहीं से ब्रिक्स देशों का अस्तित्व देखने को मिलता है। ब्रिक्स समूह ने अपने आगामी सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल होने का न्यौता दिया। वर्ष 2011 में चीन के सान्या में आयोजित ब्रिक्स (BRIC) के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और यहीं से ब्रिक्स (BRICS) देशों के बहुपक्षीय संबंधों की शुरूआत हुई।

ब्रिक्स देशों में संसाधन

ब्रिक्स देशों की आबादी पूरे विश्व की लगभग 40 प्रतिशत है, परन्तु वैश्विक व्यापार में इसका मात्र 15 प्रतिशत का योगदान है। इन देशों के पास विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 4 खरब अमेरिकी डॉलर का है। ब्रिक्स समूह में चीन और भारत पूरे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय देश हैं। चीन विनिर्माण क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है तो भारत सेवा क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। वहीं रूस प्राकृतिक ऊर्जा शक्ति का विशाल भंडार समेटे हुए है। इसके अतिरिक्त रूस और ब्राजील का कच्चे माल के निर्यात में दबदबा बना हुआ है।

इस समूह में रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं तथा ब्राजील और भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। समुद्री व्यापारिक मार्ग की दृष्टिकोण से देखें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका प्रशान्त, अटलांटिक एवं हिन्द महासागर मार्ग की सुरक्षा की दृष्टिकोण से तथा विश्व के सभी देशों को बंदरगाह सुविधा प्रदान करने हेतु भी काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भौगोलिक रूप से ये विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हैं। रूस, चीन, ब्राजील और भारत विश्व के पहले, तीसरे, पांचवे व सांतवें बड़े देश हैं। विश्व के कई बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय संगठनों में ब्रिक्स देश शामिल हैं, जहाँ पर पारस्परिक सहयोग की संभावना अन्य देशों की अपेक्षाकृत इनमें अधिक है। ब्रिक्स देशों का क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों पर काफी प्रभाव भी है।

ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में	
देश	**अर्थव्यवस्था (अमेरिकी डॉलर में)**
ब्राजील	आठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था/कुल जीडीपी–2.05 ट्रिलियन डॉलर
रूस	12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था/कुल जीडीपी–1.5 डॉलर ट्रिलियन डॉलर
भारत	7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था/कुल जीडीपी–2.72 ट्रिलियन डॉलर
चीन	दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था/कुल जीडीपी–13.41 ट्रिलियन डॉलर
दक्षिण अफ्रीका	11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था/कुल जीडीपी–1.52 ट्रिलियन डॉलर

ब्रिक्स बैठक के प्रमुख बिन्दु

- इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विकास, नवोन्मेषी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, संगठनात्मक आतंकवाद, मनी लान्ड्रिंग, आदि मुद्दों पर बातचीत की गई।
- भारत, रूस और चीन ने संगठनात्मक आतंकवाद को मुख्य रूप से इंगित किया है और कहा है कि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है।
- ब्रिक्स देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए, उसे 2020 तक तक वैश्विक स्तर पर स्थिर बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर सहमति जताई है। इसके अलावा इन देशों ने समावेशी विकास को बढ़ाने तथा वित्तीय जोखिम को संतुलित करने के लिये मिलजुलकर प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- इस सम्मेलन में भारत ने बताया कि आतंकवाद से ब्रिक्स देशों को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- इस सम्मेलन में चीन ने व्यापारिक संरक्षणवाद की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया।
- ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने साझा भुगतान तंत्र को विकसित करने की बात की।
- ब्रिक्स देशों ने जैविक हथियारों के उत्पादन और भण्डारण पर रोक से जुड़ी प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू कर एक नए प्रोटोकॉल को अपनाने की बात की, साथ ही इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
- ब्रिक्स देशों ने आईएमएफ में सुधार की अपेक्षा करते हुए एक मजबूत कोटा आधारित प्रणाली के पक्ष में काम करने की मांग की।

ब्रिक्स देशों का महत्त्व

बड़ी जनसंख्या और मध्यम वर्ग: ब्रिक्स देशों के पास बड़ी जनसंख्या है, उसमें भी युवा जनसंख्या का अनुपात काफी बड़ा है। इसके अतिरिक्त मध्य वर्ग जिनका केन्द्रीकरण इन देशों के महत्वपूर्ण शहरों में है जो कि घरेलू स्तर पर उपभोग स्तर को काफी बढ़ा रहे हैं। साथ ही यह भी पाया गया है कि इन देशों की जनसंख्या में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मध्यम वर्ग की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही तथा ये वर्ग इन देशों में आय की उत्पत्ति को बढ़ाने में काफी सहायक हैं। इसी कारण वर्तमान में इन देशों की प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता में भी वृद्धि देखी जा रही है। ध्यातव्य है कि मध्यम वर्ग का विभिन्न विकासशील देशों में गहरा प्रभाव है। इसके अलावा ये लगभग सभी क्षेत्र जैसे खुदरा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, शिक्षा, मनोरंजन, कम्प्यूटर आदि से जुड़े हैं जो कि मांग को बढ़ाने के लिये एक मुख्य कारक है।

वैश्वीकरण: वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आपस में करीब लाया है, जिससे लगभग सभी देशों की निर्भरता एक-दूसरे पर बढ़ गई है। बाजार का दायरा, नए प्रतिभागियों के प्रवेश से बढ़ गया है साथ ही नए बाजार की खोज भी हुई है जहाँ लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त वस्तुएँ मिल रहीं हैं। इसका लाभ उभरती अर्थव्यवस्था को भी मिला है। इन अर्थव्यवस्थाओं ने मांग और पूर्ति दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। ऊर्जा एवं आईटी क्षेत्र में आउट सोर्सिंग से विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति बढ़िया हुई है। वैश्वीकरण के कारण भारत ने सेवा क्षेत्र में और चीन विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन गए हैं।

औद्योगिक लाभांश: ब्रिक्स देशों की कंपनियाँ आर्थिक उदारीकरण के कारण लाभांश में हैं। वर्तमान में विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों की सूची में इन देशों की कंपनियाँ अपना स्थान बनाए हुए हैं। ये देश अपने औद्योगिक क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिये वैदेशिक अवसरों को विस्तारित भी कर रहे हैं।

सस्ता श्रम: भारत और चीन जो कि श्रमिक सघनता वाले देश हैं। इन देशों में सस्ते कुशल श्रमिक मिलने की संभावना अन्य देशों से अधिक है। विशेषतौर पर भारत जहाँ की युवा जनसंख्या रोजगार हेतु अन्य देशों में जा रही है और यहाँ पर प्रति वर्ष ग्रेजुएट एवं कौशलयुक्त युवाओं की संख्या भी बढ़ रही हैं जिनकी वेतन मांग पाश्चात्य युवाओं की तुलना में कम है। अतएव ब्रिक्स देशों के पास अपने श्रमिक वर्ग का आउट सोर्स करने का अधिक अवसर है जिसका घरेलू स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।

पाश्चात्य बाजार का सिकुड़न: पाश्चात्य देशों के बाजार में सामान्यत: कुछ वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। अतएव बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नए ग्राहक की आवश्यकता भी पड़ रही है। इस प्रकार ब्रिक्स देशों की उभरती अर्थव्यवस्था बेहतर विकल्प प्रदान कर रही है जिससे यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है।

राजनैतिक एवं आर्थिक सुधार: ब्रिक्स देशों ने अपने एवं आर्थिक क्षेत्र में काफी सुधार किया है। 1980 के दशक में जहाँ चीन ने अपने क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया, तो भारत ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण को आरंभ कर दिया था। इसी प्रकार, विघटन के पश्चात् वर्ष 2000 से रूस ने ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी निवेश को पर्याप्त बढ़ाया। ब्राजील ने भी देश में बढ़ रही मुद्रास्फीति को रोकते हुए घरेलू स्थिति को काफी हद तक सुधार लिया है। हाल ही में कारोबारी सहजता सूचकांक में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में बहुत सुधार देखने को मिला जो कि इन देशों की आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिरता को दर्शाता है तथा इससे यह भी स्पष्ट है कि ये देश वर्तमान में निवेश एवं बाजार के लिये आकर्षक स्थल हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार: इन देशों ने लगातार अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया है। चीन ने अपने यहाँ 9 वर्ष तक की बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। भारत में सर्वाधिक संख्या में अंग्रेजी समझने एवं बोलने वाले युवाओं में वृद्धि हो रही है। भारत में लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियर प्रति वर्ष पास हो रहे हैं।

इसी प्रकार चीन में भी प्रतिवर्ष इंजीनियर की संख्या में वृद्धि हो रही है। रूस बड़ी संख्या में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को आगे बढ़ा रहा है। समग्र रूप से देखें तो विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में ये देश विश्व में बड़ी संख्या में आउट सोर्सिंग कर रहे हैं।

भारत के लिए ब्रिक्स क्यों जरूरी

- वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे के लिये न केवल आर्थिक प्रतिद्वन्दी हैं बल्कि वैचारिक रूप से भी इनमें काफी भिन्नता है। वैश्विक बाजार में इन तीनों देशों की पकड़ बहुत मजबूत है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बढ़ते विवाद के कारण कई तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थीं। जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग कर सकता है।
- अमेरिका ने कुछ समय पहले 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवरसीरीज थ्रू सैक्शन एक्ट' का हवाला देते हुए, भारत को रूस से एस-400 मिसाइल न खरीदने के लिये कहा, तथा धमकी दी कि यदि भारत इसे खरीदता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबन्ध का सामना करना पड़ सकता है। अतएव भारत ब्रिक्स के माध्यम से अमेरिका को माकूल जवाब दे सता है।
- इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर ईरान से कच्चे तेल ना खरीदने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा अमेरिका भारत तथा चीन पर प्रतिवर्ष बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अतएव भारत को स्वयं को कूटनीतिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये ब्रिक्स देशों की जरूरत है।
- भारत को अपने सेवा क्षेत्र के लिये जिस प्रकार के बाजार की आवश्यकता है उसके लिए ब्रिक्स समूह बेहतर प्लेटफार्म हैं।

ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक क्षेत्र: ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिये निरन्तर कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2008 में आई मन्दी के बाद इन देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार के लिये आपसी सहमति बनाई। अपनी द्वितीय बैठक में ब्रिक्स व्यापार को तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिये एक मेमोरेन्डम पर इन देशों ने हस्ताक्षर किये। ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2014 में चीन के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई तथा इसी वर्ष आकस्मिक आरक्षित अनुपात बनाने के मुद्दे पर भी आपसी सहमति बन गई। आकस्मिक आरक्षित अनुपात की प्रारंभिक क्षमता 100 बिलियन अमेरिका डॉलर रखी गई है जिसमें चीन का हिस्सा 41 बिलियन डॉलर, ब्राजील का 18 बिलियन डॉलर, भारत का 18 बिलियन डॉलर, रूस का 18 बिलियन डॉलर और दक्षिण अफ्रीका का 5 बिलियन डॉलर का हिस्सा है। इसके अलावा ये देश आपसी दोहरा कराधान समाप्त करने, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान व्यवधान की त्रुटियों को दूर करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण पर मौजूदा मानकों में बदलाव करने की दिशा की ओर अग्रसर हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: ब्रिक्स देश स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिये अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इसके अलावा इन देशों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों पर साझा शोध भी चलाए जा रहे हैं। इन विषयों में टीबी एवं एचआईवी मुख्य हैं। ब्रिक्स देश जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहन देने, स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सुविधाओं के आदान-प्रदान में तथा वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर परस्पर सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं।

विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग: विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिये पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 2014 में हुई। ब्रिक्स देशों में मध्य एसटीआई (Science, Technology and Innovation) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन, नवीनीकृत ऊर्जा, नैनोप्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय कम्प्यूटर तकनीकी, औषधि एवं जवै प्रौद्योगिकी, स्वच्छ कोयला आदि विषयों से संबंधित है।

सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग: ब्रिक्स देश अपनी समान पहचान और सहयोग को बढ़ाने के लिये नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजरी एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इन सूचनाओं में ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लान्ड्रिग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि सम्मिलित हैं।

ब्रिक्स देशों के समक्ष चुनौतियाँ

- कई बार देखा गया है कि ब्रिक्स देशों में आपसी समन्वय का अभाव है, साथ ही सदस्य देशों के भीतर नीतिगत समन्वय का भी अभाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत-चीन संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तनाव देखा गया।
- चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा व्यापारिक संरक्षण आदि कई सारे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव पूरे समूह पर पड़ता है।
- चीन की मुद्रा रैनमिंबी को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय के रूप में मान्यता प्राप्त है, परन्तु इस मुद्रा से भारत और ब्राजील को व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- ब्रिक्स देश कई वस्तुओं का उत्पादन भारी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात की लागत काफी अधिक है। अतः वैश्विक व्यापार में वे अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं।
- हाल ही में चीन द्वारा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' प्रोजेक्ट में भारत का नकारात्मक रूख है। इसके साथ ही भारत ने आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे विषय हैं, जहाँ पर भारत तथा चीन आमने-सामने खड़े हैं। यदि गौर करें तो ये दोनों देश इस समूह में भी मुख्य भागीदार हैं। इनके आपसी असहमति का कूटनीतिक प्रभाव ब्रिक्स के लिये चुनौती है।

आगे की राह

ब्रिक्स देशों के भविष्य को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में ये देश वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इनके द्वारा बनाया गया वित्तीय मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक भविष्य में विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा का विकल्प हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी के समय में देश एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

2. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला के पक्ष में सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस निर्णय से श्री राम जन्म भूमि के कानूनी विवाद का समाधान हो गया है, साथ ही भारत में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है।

परिचय

पश्चिमी मॉडल में धर्मनिरपेक्षता से आशय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ धर्म और राज्यों का एक-दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप न हो, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए। वहीं इसके विपरीत भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न विचारधाराओं को स्थान दिया जाता रहा है। यहाँ धर्म को जिंदगी का एक तरीका, आचरण संहिता तथा व्यक्ति की सामाजिक पहचान माना जाता रहा है।

इस प्रकार भारतीय संदर्भ में धर्मनिपेक्षता का मतलब समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सहअस्तित्त्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास, और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ-ही-साथ सभी धर्मों के प्रति एकसमान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना रहा है ।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

गौरतलब है कि भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भाग में नहीं किया गया है, वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य साबित करते हैं, जिसकी पुष्टि निम्न बिन्दुओं से होती है-

- भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होगें और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- वहीं अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाई गई है।
- अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। (कुछ अपवादों के साथ)
- इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है।

- संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार करने या फैलाने का अधिकार दिया गया है।
- वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 27 कहता है कि नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण के एवज में कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किये जाने वाले व्यय को कर मुक्त घोषित किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं के शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उन पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बनाने का प्रयास करेगा।

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है।
- व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य राजनैतिक दृष्टि से भी ज्यादा स्थायी होता है।
- इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मजबूती प्रदान करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर

कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। लेकिन संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- पश्चिम की पूर्णतया अलगाववादी नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के विपरीत भारत की धर्मरिपेक्षता समग्र रूप से सभी धर्मो का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है बल्कि अंतर-धार्मिक समानता पर जोर देती है।

> **धर्मनिरपेक्षता पर नेहरु के विचार:** पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो 'सभी धर्मों की हिफाजत करे; अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्यधर्म के तौर पर स्वीकार न करे। नेहरु भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरु स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। स्मरणीय हो कि ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरु तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।
>
> **धर्मनिरपेक्षता पर गांधी जी के विचार:** महात्मा गांधी निजी जीवन में धार्मिक व्यक्ति थे, वे धर्म और राजनीति के माध्य संबंधों को प्रमुखता देते थे। इस मामले में वे पंडित नेहरू से अलग मत रखते थे।

- गौरतलब है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंत:धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का विरोध किया है, जो इसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न बनाती है।
- यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जबकि भारत में मंदिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं।
- एक अन्य भिन्नता यह भी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आबादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का जहाँ धर्म चुनने व मानने का अधिकार है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएँ कायम रखने का अधिकार दिया गया है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं भारत राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदूधर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं।
- भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा पर ज्यादा बल दिया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है।

इस प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता न तो पूरी तरह धर्म के साथ जुड़ी है और न ही इससे पूरी तरह तटस्थ है। विदित हो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में दिए अपने निर्णय में धर्मनिरपेक्षता को भारत की आधारभूत संरचना का हिस्सा माना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने इन्हीं मूल्यों के आधार पर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से सैद्धान्तिक रूप में भिन्न है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने शुरूआती समय से ही तीखी आलोचनाओं का विषय रही है। जिसको लेकर कई तर्क भी दिए जाते रहे हैं। यहाँ हम उन चुनौतियो का जिक्र निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत कर सकते हैं-

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है।
- धर्म निरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात ईसाईयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है, यह कहीं से आयातित नहीं बल्कि मौलिक है।
- भारत की धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यक वाद होने का भी आरोप लगता रहा है। विदित हो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी जरूर करती है मगर यह पैरवी न्याय के अनुसार होता है। ऐसे में अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए।
- भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन धर्मावलंबी अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों सालों से चले आने के आधार पर कर रहे हैं।
- इसके आलावा यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर ही अल्पसंख्यकों के मामलों में दखल देता है। इसके विपरीत बहुसंख्यकों को यह संदेह होता है कि राज्य अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण कर रहा है। ऐसी प्रवृत्ति समुदायों में सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर रही है।
- धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती कुछ घटनाएँ भी इसके समक्ष चुनौती पेश करती रही हैं जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड और वर्ष 2003 के गुजरात दंगे, गौहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि।
- नतीजतन भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा तुष्टिकरण की नीति के कारण खतरे में है।
- कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है। यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतन्त्रता में अधिक हस्तक्षेप करती है। जबकि ऐसा नहीं है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप उत्पीड़नकारी नहीं बल्कि सुधारवादी है।
- धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है जो इसके दुरुपयोग और इसे अपरिभाषित करने के लिये एक समुचित जगह प्रदान करता है। इस अर्थ में, समय-समय पर धर्मांतरण शब्द का भी दुरुपयोग और इसकी गलत व्याख्या की जाती रही है।
- आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके बदले इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों में भी झलकती है।

इसके अलावा शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता तमाम जटिल रणनीतियाँ अपना सकती है। अंततः स्पष्ट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसकी खामियों को दूर किया जाए। इसके लिए यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सरकार को चाहिए कि वह इसका सरंक्षण सुनिश्चित करे चूँकि धर्मनिरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा मान लिया गया है।
- धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये।
- जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होता है। अंत उसे वोट बैंक के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिये।
- गौरतलब है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक दलों को अमल करने की आवश्यकता है।
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अल्पसंख्यकों को मान्यता देने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने पर आधारित है। अतः अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये और इसे धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

■

3. मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा : मानवीय गरिमा पर आघात

चर्चा का कारण

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 'हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स - एन इनिशियल असेसमेंट (Health, Safety and Dignity of Sanitation Workers - An Initial Assesment) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत सहित आठ अन्य देश- बांग्लादेश, बुर्किनाफासो, हैती केन्या, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में सफाई कर्मचारियों की स्थिति का आंकलन किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) वाटर एड (Water Aid) और विश्व बैंक की मदद से जारी की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों में सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा करने वाले कानून और नियमों की कमी है या कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है या फिर व्यावहारिक रूप से ये प्रभावी नहीं हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाथ से मैला सफाई वाले कुछ सफाईकर्मियों को श्रम के एवज में पैसे के बजाय भोजन दिया जाता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सफाईकर्मियों को अकसर सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक हाथ से मैला साफ करने के चलन (उदाहरण के लिए, भारत और सेनेगल में) के कारण इस प्रथा पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। रिपोर्ट कहती है कि चोरी-छुपे इसे इन देशों में आसानी से अंजाम दिया जा रहा है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अस्थाई और अनौपचारिक कामों में चूंकि वेतन कम देना पड़ता है, इसलिए भी ठेकेदार इसे लागू रखना चाहते हैं। ऐसे काम करने वालों की आय अनियमित होती है और श्रमिकों का जबरन शोषण किया जाता है।
- रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब सफाईकर्मी मानव अपशिष्ट के सीधे संपर्क में आते हैं और बिना किसी उपकरण या सुरक्षा के साथ काम करते हुए इसे हाथ से साफ करते हैं, तो प्रायः उन्हें जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

पृष्ठभूमि

भारत में मैला ढोने की प्रथा प्राचीन काल से ही विद्यमान है, जिसका प्रमाण इतिहास के हर काल में देखने को मिलता है। फाह्यान ने अपनी यात्रा विवरण में भारत की सामाजिक स्थिति में इस पहलू का जिक्र करते हुए लिखा है कि समाज के निम्न वर्ग के लोगों को चाण्डाल कहकर पुकारा जाता था, उन्हे समाज से अलग गाँव और नगर के बाहर रखा जाता था। यह वर्ग अस्पृश्य माना जाता था और साफ-सफाई विशेषकर सड़कों, नालियों और मैला ढोने जैसे कार्य की जिम्मेदारी इसी वर्ग की होती थी।

सिर पर मैला ढोना देश के माथे पर एक कलंक के समान है जिसके खिलाफ वर्षों से आवाजें उठती रही है। राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले इसके खिलाफ गाँधी जी ने 1901 में आवाज उठाई इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति को अपने आसपास और स्वयं की गंदगी को खुद साफ करना चाहिए। तब से लेकर मौजूदा दौर की सरकारों ने भी इस अमानवीय कार्य का संज्ञान लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जातीय रंगभेद (Caste Apartheid) कहा तो वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री ने इसे माथे पर कलंक बताया। इसके बावजूद भी इस कलंक को हटाने के लिए आजादी के सात दशक बाद भी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है

किसी व्यक्ति द्वारा हाथों से शुष्क शैचालयों या खुली नालियों, सीवर आदि से मानवीय अपशिष्ट को निकालने, सिर पर रखकर ले जाने, निस्तारण करने को हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है।

भारत की स्थिति

जुलाई, 2019 में संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया था कि देश के 18 राज्यों के 170 जिलों में हाथ से मैला सफाई के 54,130 मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत में अवांछनीय और उच्च जोखिम वाले कार्यों के लिए आमतौर पर अनौपचारिक और अस्थायी लोगों को ही काम पर रखा जाता है जिसमें से अधिकांश कार्य मैनुअली या हाथ से ही किया जाता है, जैसे- शौचालयों, सूखी नालियों, गड्ढ़ों या रेलवे पटरियों से मानव मल आदि की दैनिक सफाई। सीवर कार्यकर्ता सीवर लाइन को जाम करने वाले कचरे की सफाई के लिए मेन होल में बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के ही उतरते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर पाँच दिन में हाथ से सीवर की सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वास्तव में यह आँकड़ा अधिक भी हो सकता है क्योंकि बहुत से मामले प्रकाश में नहीं आते हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार भारत में निम्न स्तरीय मैनुअल सफाई कार्य के लिए मजदूरी भी बहुत कम दी जाती है। ज्यादातर सफाईकर्मियों को निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती है व उनसे जबरन कार्य करवाया जाता है। यहाँ तक कि कई बार भोजन जैसी बुनियादी जरूरत के बदले ही सफाई का कार्य करवाया जाता है। ऐसे कार्यों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी नियोजित होती हैं। ये सभी कथित रूप से निम्न जाति के होते हैं जिनके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भूमि मजदूरी आदि के संबंध में भेदभाव होता रहा है। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को कानून द्वारा निषिद्ध किया गया है तथापि निचली जातियों एवं वर्ग के संदर्भ में प्रणालीगत भेदभाव की चुनौती आज भी है।

मैला ढोने वालों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

सफाई कार्यकर्ता अपनी गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की कीमत पर एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करते हैं। ये सर्वाधिक सुभेद्य श्रमिकों में से है। उन्हे अकसर ऐसी अदृश्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में उन्हें पर्याप्त जागरूकता तक नहीं होती है। स्वच्छता कर्मियों की कार्यदशाओं में खतरनाक जोखिम जिसमें बिमारी, चोट यहाँ तक की मौत का जोखिम भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता कर्मियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और जोखिमों को चार आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सबसे गम्भीर किस्म की है। इनके कार्य की दशाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षित उपकरणों के अभाव के कारण सफाई कर्मियों की मौत तक हो जाती है। सीवर के सफाई के दौरान सफाई कर्मी जहरीली गैसों और हानिकारक रसायनों के सम्पर्क में आते हैं जिससे उन्हें

गम्भीर बिमारियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि 2019 के शुरूआती छः माह में ही 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

- **कमजोर कानूनी सुरक्षाः** अनौपचारिक और स्थायी सफाई कर्मियों के नियोजन के पीछे मौजूदा कानूनों का निष्क्रिय होना है। साथ ही इन कर्मियों के अधिकारों और इनकी कार्य दशाओं में सुधार की मांग करने वाले समूह और संगठन भी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं।
- **वित्तीय असुरक्षाः** सफाई कर्मियों के रूप में नियोजित लगभग सभी व्यक्ति तथाकथित निम्न जातियों से आते हैं जो अत्यधिक गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं जिनकी मजदूरी बहुत ही कम और अनिश्चित होती है।
- **सामाजिक भेदभावः** सफाई कर्मियों के साथ सामाजिक भेदभाव बहुत गहराई के साथ विद्यमान है। यहाँ तक कि इनको छुआ-छूत और पूर्ण रूपेण सामाजिक विच्छेद का भी सामना करना पड़ता है।

स्वच्छता और सतत् विकास लक्ष्य-2030
सतत् विकास के 17 लक्ष्यों में से 4 लक्ष्य ऐसे हैं जो स्वच्छता कर्मियों की कार्यदशाओं में सुधार की बात करते हैं।
लक्ष्य 1 : गरीबों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाकर गरीबी के प्रत्येक रूप को समाप्त करना।
लक्ष्य 3 : सभी उम्र के लोगों के स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।
लक्ष्य 6 : कार्य के दौरान हानिकारक रसायनों के सम्पर्क को कम करना, सभी के लिए स्वच्छता एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता का प्रबंध करना।
लक्ष्य 8 : उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास
इस तरह सतत् विकास लक्ष्य फ्रेमवर्क सफाई कर्मियों की स्थिति में सुधार के लिए अवसर और दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है।

मैला ढोने की प्रथा की निरंतरता का कारण

मैला ढोने की प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के बावजूद भी इसे समाप्त नहीं किया जा सका है। यह प्रथा दृढ़ता से अपने पैर जमाये है जिसके पीछे निम्नलिखित कारण विद्यमान हैं-

- **जाति व्यवस्था पर आधारितः** चूँकि सफाई का कार्य एक निश्चित जाति के लोगों द्वारा ही सदियों से किया और कराया जा रहा था साथ उन्हें सामाजिक रूप से अछूत भी घोषित किया गया था। फलतः इनका सामाजिक-आर्थिक विकास इतना पीछे हो गया कि सफाई के कार्य के अतिरिक्त उनके पास जीवन यापन के लिए अन्य कोई उपाय बचा ही नहीं।
- डब्ल्यूएसओ ने हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स- एन इनिशियल एसेसमेंट रिपोर्ट में भी इस समस्या का कारण जाति आधारित भेदभाव को ही माना है। इस संबंध में रिपोर्ट में भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में यह काम दलित जातियों से ही करवाये जाने की बात कही गई है।
- **शुष्क शौचालयः** मैला ढोने और शुष्क शौचालयों के निर्माण को प्रतिबंधित करने बावजूद भी भारत में 1,82,505 हाथ से मैला ढोने वाले और 7,40,048 परिवार जो शुष्क शौचालयों की सफाई के लिए मैला ढोनें वालों की सेवा का उपयोग करते हैं। मैला ढोने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा है जो 95-98% तक है, जिसका एक प्रमुख कारण पुनर्वास से संबंधित अधिकांश योजनाओं का लाभ पुरुषों तक ही पहुँच पाना है।
- **ग्रामीण क्षेत्रः** राष्ट्रीय गरिमा अभियान के सर्वे के अनुसार मैला ढोने वालों में 60% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित होते हैं, जोकि पुनर्वास योजनाओं तक पहुँच और अपने अधिकारों की जागरूकता से अछूते ही रह जाते हैं और पुनर्वास योजना का संकेन्द्रण शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हो जाता है।
- **भ्रष्टाचारः** इस कलंक की निरंतरता का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान के सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश के एक जिले में मैला ढोने के कार्य में संलग्न 165 महिलाओं में से एक भी पुनर्वास योजना की लाभार्थी के रूप में नामांकित नहीं थी जबकि उसी जिले की 302 महिलाएँ लाभार्थी के रूप में नामांकित की गई थीं। यह सर्वे दिखाता है कि मैला ढोने की प्रथा में लगे लोगों में से 10% लोगों तक ही पुनर्वास योजना का लाभ पहुँचा है।
- **संरक्षण प्रणालीः** भारत की जाति व्यवस्था में इस प्रथा की जड़ता का एक कारण संरक्षण प्रणाली भी है। सामान्यतः बड़ी और अगड़ी जातियों द्वारा यह दिखावा किया जाता है कि वे निम्न जाति या समुदाय के लोगों का संरक्षण करते हैं उनके भरण पोषण का प्रबंध करते रहे हैं अतः इस एहसान के बदले निम्न जाति अपने इस शोषण को स्वीकार करती है। यह एहसान निम्न समुदाय को लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित करता रहा है जिसके कारण वे भूमि, सम्पत्ति शिक्षा आदि बुनियादी अधिकारों से वंचित रहते हुए भी इस शोषण को अपना कर्त्तव्य समझते रहे।

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय

- **संवैधानिक प्रयासः** समानता का अधिकार- अनुच्छेद 14, 15, 16, 17
  - अनुच्छेद 19 व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद-21 गरिमायुक्त जीवन जीने की स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद-23 शोषण के विरूद्ध अधिकार
  - अनुच्छेद-42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएँ
  - अनुच्छेद-43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी
- **कानूनी प्रयासः** मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 [Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993] का प्रावधान
  - इस अधिनियम के तहत लोगों के मैला ढोने के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला साफ करने को संज्ञेय अपराध मानते हुए आर्थिक दण्ड और कारावास दोनों ही आरोपित करने का प्रावधान है, इसके तहत एक वर्ष का कारावास अथवा 2,000 रुपये का दण्ड या दोनों हो सकता है।
  - यह अधिनियम सूखे शौचालयों के निर्माण को भी प्रतिबंधित करता है।
- मैनुअल स्कैवेजर के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013)
  - इस अधिनियम तहत मैला ढोने से जुड़े सभी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - इस अधिनियम के तहत मैला ढोने वालों के परिवार के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की होगी। साथ ही मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण प्रदान करना, ऋण देना, आवास उपलब्ध करवाना आदि, राज्य की जिम्मेदारी होगी।

- **योजनागत प्रयास:**
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना

अन्य प्रयास

- राष्ट्रीय गरिमा अभियान
- स्वच्छ भारत अभियान

आगे की राह

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। इस संबंध में अन्य सुझावों को भी अमल में लाया जा सकता है-

- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास:** मैला ढोने से मुक्त कराये गये लोगों के लिए व्यावहारिक और समावेशी योजना चलाये जाने की आवश्यकता है जिसमें मैला ढोने वाले परिवारों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को सम्पन्न करने की क्षमता है।
- **लैंगिक पहलू:** सभी पुनर्वास योजनाओं और कार्यक्रमों में लैंगिक पहलू का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि इसका लाभ महिलाओं तक भी पहुँचे क्योंकि मैला ढोने वालों में महिलाओं की संख्या 98% तक है।
- **नियोजन का औपचारिक स्वरूप:** जोखिम से भरे कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर लोगों को नियोजित किया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता। इसलिए सफाई के कार्य को पूर्णत: औपचारिक रूप से ही सम्पन्न कराये जाने से संबंधित कानूनी बाध्यता की जानी चाहिए।
- **सामाजिक जागरूकता:** राष्ट्रीय गरिमा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे-जागरूकता अभियान के माध्यम से सफाई कर्मियों को विशेषकार ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना होगा।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:** मैला ढोने की प्रथा में 98% महिलाएँ नियोजित होती है जिसका कारण जातिगत के साथ महिलाओं का आर्थिक रूप से कमजोर होना भी है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें इस कलंक से बाहर निकालनें में सहायक होगा।
- **तकनीकी को अपनाना:** जब तक सही तकनीकी को नहीं अपनाया जायेगा तब तक हाथ से मैला होने की प्रथा को समाप्त कर पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है स्वच्छता से संबंधित अवसंरचना के साथ-साथ मल एवं सीवेज निपटान में नई तकनीक को अपनाया जाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. सी.जे.आई. कार्यालय बनाम सूचना का अधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पाँच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ही बरकरार रखा।

पृष्ठभूमि

इस मामले की शुरूआत 11 नवंबर वर्ष 2007 में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल के उस आवेदन से होती है जिसमें उन्होने सुप्रीम कोर्ट के जन सूचना अधिकारी से जजों की सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा और जन सूचना अधिकार ने उन्हे जानकारी देने से मना कर दिया था।

8 दिसम्बर 2007 को सूचना न प्राप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास प्रथम अपील दाखिल की गई। लेकिन 12 जनवरी 2008 को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा भी अपील खारिज करते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया गया।

अन्तत: मार्च 2008 में सुभाष चन्द्र अग्रवाल भारत के मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईसी) के पास अपील करते हैं, जिस पर सीआईसी द्वारा 6 जनवरी 2009 को सी.जे.आई. (CJI) दफ्तर को पब्लिक अथॉरिटी मानते हुए मांगी गई सूचनाएँ सार्वजनिक करने का ओदश जारी किया गया।

17 जनवरी 2009 को ही सुप्रीम कोर्ट के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सीआईसी के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और 19 जनवरी को ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी गई।

बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकलपीठ यह कहते हुए सीआईसी के आदेश को मान्यता देती है कि सीजेआई का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आता है ओर पारदर्शिता के लिए जजों की सम्पत्ति घोषित की जानी चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय की ही खण्डपीठ में मामले को ले जाती है और तर्क देती है कि जजों की सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति है, अत: इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अति पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित कर सकती है।

लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त के ओदश को बरकरार रखा।

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ 26 नवम्बर 2010 को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले गये और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2016 को इस मामले को संविधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया।

जिस पर 13 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी, किंतु न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण आरटीआई के अंतर्गत आता है।

फैसले के प्रमुख बिन्दु

सी.जे.आई. (CJI) कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण है: सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार

भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के कार्यालय के अनुसार ही एक पब्लिक अथॉरिटी है। चूंकि इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आता है। लेकिन सूचना देने के संदर्भ में दफ्तर की गोपनीयता और स्वतंत्रता को ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसके तहत आरटीआई एक्ट की धारा 2(f) में वर्णित सूचनाएँ ही दी जा सकती है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश संविदा, लॉगबुक, ऑकड़ा संबंधी जानकारी आदि शामिल हैं।

निजता का अधिकार बनाम सूचना का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि जजों की निजी सम्पत्ति की जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे न्यायाधीशों की निष्पक्षता और उनके कर्त्तव्य प्रभावित हो सकते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(J) भी निजता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष की निजी सूचना देने से मना करती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लोकहित की प्रकृति निजी हित से अधिक महत्वपूर्ण हो तो तीसरे पक्ष की सूचनाओं की जानकारी भी दी जा सकती है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य जन सूचना अधिकारी को न्यायाधीशों द्वारा दिया गया सम्पत्ति का ब्योरा जारी करने को भी कहा।

कालेजियम व्यवस्था बनाम पारदर्शिता: इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कालेजियम द्वारा नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए सिफारिश किए गये नामों को तो सार्वजनिक किया जा सकता है लेकिन इसके पीछे के आधार क्या हैं यह जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसमें जजों की निजी सूचनाएं भी होती हैं जो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।

पारदर्शिता और स्वतंत्र न्यायपालिका: केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना (Basic Structure) का सिद्धांत पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए साफ किया कि आरटीआई का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि कोई भी अपारदर्शी व्यवस्था नहीं चाहता किन्तु पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका की शुचिता को नष्ट नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो कोई अंधेर (जानकारी के अभाव) में रह सकता है और न ही किसी को जानकारी के अभाव में रखा जा सकता है लेकिन पारदर्शिता के नाम पर संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के समन्वय पर बल देते हुए कहा कि पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता बाधित नहीं बल्कि इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय की अवधारण को मजबूती मिलती है।

पारदर्शिता न्यायिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता से तात्पर्य जवाबदेहिता से स्वतंत्रता नहीं बल्कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है ताकि लोकहित का संवर्द्धन किया जा सके जिसके लिए पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण पहलू है।

आरटीआई के प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित एवं अनुक्रमणिकाबद्ध रखने की बाध्यता करता है ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सके।
- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा हो, की राजभाषा में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।
- आवेदक से सूचना प्राप्ति के उद्देश्य और व्यक्तिगत ब्यौरे के सिवाय जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक है, अन्य जानकारी नहीं मांगी जाती है।
- सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। जहाँ जीवन अथवा स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हो वहाँ यह 48 घंटे में सूचना प्रदान की जायेगी।
- 30 दिनों के अंदर कार्यवाही न किए जाने पर सूचना देने से इंकार करना समझा जाएगा और देर से उत्तर देने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- गैर-कानूनी तरीके से आवेदन अस्वीकार करने या गलत सूचना देने या माँगी गई सूचनाओं को नष्ट करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक दण्ड, जो उस सूचना अधिकारी के वेतन से काटी जायेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम

यह अधिनियम सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता को तय करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 2005 में लाया गया था। इसके तहत भारतीय नागरिक को, जितने समय तक दस्तावेजों को सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान है उतने वक्त तक की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीआई के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग आते हैं-

- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के कार्यालय
- संसद और राज्य विधानमण्डल
- चुनाव आयोग
- पुलिस विभाग
- सभी अदालतें
- पीएसयू
- सभी सरकारी कार्यालय
- सरकारी बीमा कम्पनियां
- सभी सरकारी बैंक
- सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान (NGO)

नोट: आरटीआई अधिनियम के तहत खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारियाँ जिनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता को खतरा हो, विदेशी संबंधों आदि के संबंध में जानकारी नहीं हासिल की जा सकती है।

आरटीआई एक्ट की धारा-8 के तहत निम्नलिखित सूचनाओं के प्रकटन की बाध्यता नहीं है-

- सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो।
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
- मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद

के सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

- व्यक्तिगत सूचना, जिसका लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं हो या जिससे व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण होता हो।
- खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों को छूट प्राप्त है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को छोड़कर।
- आफिसियल सीक्रेट एक्ट 1923 के दायरे में आने वाली सूचनाएँ लेकिन लोक प्राधिकारी जनहित में प्रकटीकरण को सुरक्षित समझते तो सूचना को प्रकट करने की अनुमति दे सकता है।

आरटीआई और सीबीआई

सीबीआई पिछले कुछ वर्षों में चर्चा के केन्द्र में रही है। इसे केन्द्र सरकार के हाथों की कठपुतली तक कहा गया है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा है।

ऐसे 2011 में कन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जो सीबीआई को आरटीआई की धारा 24 के तहत इसे आरटीआई के दायरे से बाहर करती है, सीबीआई की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिह्न लगाती है।

हालांकि सीबीआई को भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जानकारी प्रकट करना होगा यह सिर्फ जानकारी के प्रकटीकरण से तभी इंकार कर सकती है जब वह सूचना आरटीआई अधिकार की धारा 8(1) के प्रावधानों के अंतर्गत आती हो।

क्या यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए पर्याप्त है

- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति उनकी पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार एवं पारदर्शिता की मांग लम्बे समय से चली आ रही है।
- इसे कॉलेजियम व्यवस्था में परिवर्तन के लिए ससंद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का प्रावधान किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यापालिका के हस्तक्षेप को आधार बनाते हुए खारिज कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई पर दिये गये वर्तमान निर्णय पर भी कॉलेजियम के तहत सिफारिश किए गये नामों के चयन की सूचना के प्रकटीकरण का तो समर्थन किया लेकिन उन नामों के चयन के लिए अपनाये गये मापदण्डो, योग्यताओं आदि से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखने का ही निर्णय सुनाया।

इस तरह देखा जाये तो जहाँ एक तरफ सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाया गया वहीं कॉलेजियम द्वारा चयनित नामों का आधार जजों की सम्पत्ति घोषित करने की बाध्यता को आरटीआई के दायरे से बाहर ही रखा गया।

फायदे

- अब नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा जो पहले नहीं था।
- इससे पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय की अवधारणा को बल मिलेगा।
- यह निर्णय आरटीआई के दायरे को अन्य संस्थाओं तक बढ़ाने की माँग को मजबूत करेगा जैसे (सीबीआई, ईडी आदि)

सूचना के अधिकार की उलझन

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद और विधानमण्डलों के चुनाव लड़ने के लिए नामजदगी के पर्चे भरते समय उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पति और शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना होगा। अदालत का तर्क यह था कि वोट देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 तहत एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग जनता ठीक तरीके से तभी कर पाएगी जब उसे उम्मीदवारों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। गौरतलब है कि संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी कि मतदान को एक मौलिक अधिकार बनाया जाए या नहीं। अंत में तय हुआ कि इसे मौलिक अधिकारों की सूची में न रख कर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा जाय। अदालत में दलील यह थी कि जब मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो उसका प्रयोग कैसे मौलिक अधिकार हो जाएगा। किंतु अदालत ने मत देने के अधिकार तथा इस अधिकार के इस्तेमाल की स्वतंत्रता में फर्क करते हुए व्यवस्था दी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। इस फैसले को पलटने के लिए संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर धारा 33ख को जोड़ दिया जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार केवल अपने बारे में आपराधिक मामलों की सूचना देंगे, सम्पति तथा शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं। इस संशोधन को पीयूसीएल मामले में चुनौती दी गयी और उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को असवैधानिक करार देते हुए कहा कि अदालत के निर्णय को बदलने का अधिकार संसद को नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में वैधानिक शून्य की स्थिति है। इसलिए जब तक संसद इस बारे में कानून नहीं बनाता, अदालती निर्देश लागू रहेंगे। लोकतंत्र को बेहतर बनान के लिए उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी कानून के ऐसी व्यवस्था लागू करा दी परंतु अपने बारे में उसके मापदंड अलग दिख रहे हैं। जजों की संपत्ति आदि मुद्दों की घोषणा से उसे न्यायपालिका की स्वायतता पर खतरा मंडराता दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि इस खुलासे से उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी जो उसकी स्वायतता को और मजबूत करेगी। विदित हो कि पिछले साल मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि वह एक लोकसवक नहीं हैं, उनका पद संवैधानिक है जिस पर सूचना के अधिकार का कानून लागू नहीं होता। हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ए.आर. अंतुले बनाम आर एस नायक तथा बुन चौधरी बनाम बिहार में निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में न्यायपालिका भी शामिल है, ताकि सत्ता की संवैधानिक सीमाएं तय हो सकें। भारतीय दंड विधान की धारा 21 के अन्तर्गत जज लोक सवक हैं और उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की एक संविधान पीठ ने भी वीरास्वामी मामले में इसे स्वीकार किया है। खुद उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सूचना के अधिकार पर जोर देता रहा है।

आगे की राह

सरकारी संस्थाएं गोपनीयता और स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं को पारदर्शी बनाने से रोकती रहेगी तो लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य ही बाधित होगा। पारदर्शिता संस्थाओं की निष्पक्षता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है इसलिए आरटीआई के दायरे को सीमित करने के बजाय उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही आरटीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका संवैधानीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन एवं भारत के लिए उसके मायने

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे को जीत हासिल हुई। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हे बधाई दिया साथ ही उन्हे भारत आने का न्यौता भी दिया, जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया ने स्वीकार कर लिया है।

परिचय

भारत और श्रीलंका के संबंध 2,500 वर्ष से अधिक पुराने हैं। दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और परस्पर भाषाई संबंधों की एक विरासत है। हाल के वर्षों में कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी स्तरों पर दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय रूचि के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक समझ रखते हैं। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर बम धमाकों में भी भारत ने खेद जताने के साथ-साथ सहयोग करने का वादा किया था, जिससे दोनों देशों की मित्रता में प्रगाढ़ता आई है।

वर्तमान में अब श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक संबंध दोनों देशों के नेताओं के दृष्टिकोण पर तय होंगे।

भारत-श्रीलंका सहयोग

राजनैतिकः भारत एवं श्रीलंका के मध्य बेहतर संबंध के लिये, राजनैतिक स्थिरता की प्रासंगिकता दोनों ही देशों में समान रूप से आवश्यक है। श्रीलंका में 2015 में सत्ता परिवर्तन के बाद नवीन युग की शुरूआत हुई, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरीसेना ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिये प्रयास किये। वर्ष 2016 में मैत्रीपाल ने भारत की यात्रा की तथा वर्ष 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका गए। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित 14वें 'अंतर्राष्ट्रीय वेसाक महोत्सव' में भारत के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया।

इस प्रकार यह साफतौर पर कहा जा सकता है कि भारत हमेशा से श्रीलंका के साथ ऐसे राजनैतिक समझौते के पक्ष में रहा जो कि लोकतंत्र, अनेकता व मानवाधिकारों के अनुकूल हो।

पूर्व में भी श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण वहाँ पर तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया गया, श्रीलंका द्वारा राजनैतिक स्थिति के नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण जब श्रीलंका ने भारत से सैन्य सहयोग माँगा तो भारत ने सहज भाव से पूर्ण सहयोग दिया।

सांस्कृतिक सहयोगः भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक रूप से काफी समानता रखते हैं, परंतु पड़ोसी देश होने के नाते संबंधों में यदा-कदा खटास आ जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच 1977 ई. में सांस्कृतिक सहयोग पर हस्ताक्षर हुए थे। तब से अभी तक भारत श्रीलंका में संगीत, नृत्य हिंदी और योग की कक्षाएं संचालित करता है। वर्ष 2015 में श्रीलंका के 66वें गणतंत्र दिवस पर कोलंबो में भारतीय सितार वादक श्री नीलामी कुमार द्वारा प्रस्तुति दी गई थी। भारत और श्रीलंका ने भगवान बुद्ध का 2600वां स्मरणोत्सव वर्ष भी मनाया। इसके अलावा श्रीलंका में वर्ष 2013 अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट संग्रहालय को भारतीय गैलरी में भारत और श्रीलंका की सांझी विरासत को दर्शाया गया।

शिक्षाः भारत श्रीलंका को शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग दे रहा है। इसके तहत भारत श्रीलंकाई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन विद्यार्थियों को तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रदान कर शैक्षिक स्तर को बढ़ाने में भारत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

पर्यटनः दोनों देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वीजा पद्धति को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य 1998 में एक अंतर्सरकारी पहल के रूप में इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की शुरूआत की गई थी जिससे दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंध निरन्तर बढ़ते ही रहे।

आर्थिक सहयोगः भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता 1998 में ही हो गया था। वर्ष 2018 तक दोनों ही देशों के मध्य व्यापार 4.9 बिलियन अमेरिकी डालर तक का था। भारत 2022 तक अपने जीडीपी को दोगुना करने का उद्देश्य रखता है जिससे श्रीलंका को भी काफी लाभ होगा। भारत द्वारा श्रीलंका में निवेश भी किया जा रहा है जिसके तहत महिन्द्रा व्हीकल ने 5000 प्रतिवर्ष यूनिट की क्षमता वाला प्लांट श्रीलंका में स्थापित किया है। इसी प्रकार श्रीलंका की टेक्सटाइल कंपनी एमएएस भारत में कई फैक्ट्रियां स्थापित कर रही है। दोनों देशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 'लंका इंडिया आयात कार्पोरेशन' द्वारा 160 पेट्रोल स्टेशन 14 टैंक, श्रीलंका अधिकार वाले चीन की खाड़ी में स्थापित किये जा रहे हैं, जो कि श्रीलंका की तेल भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगें।

वर्ष 2009 से भारत सरकार ने आवास, अवसंरचना शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग, हस्तशिल्प संस्कृति और खेलों सहित श्रीलंका के तमिल समुदायों को लक्षित करते हुए साथ ही श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है।

सरकार, श्रीलंका के संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार निवेश हेतु सम्भावनाओं की तलाश कर रही है। श्रीलंका भारत सरकार द्वारा विस्तारित विकास क्रेडिट मुख्य प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

भारतीय समुदायः श्रीलंका भी भारत की तरह ही ब्रिटिश उपनिवेश रहा है इस देश में बहुत सारे मजदूर जिन्हें अंग्रेज भारत से श्रीलंका ले गए थे। ये विभिन्न धर्म और समुदाय के थे। इसी कारण यहां पर सिंधी, गुजराती, मेमोन, पारसी, मलयाली और तमिल भाषी व्यक्ति भी रहते हैं। ये लोग श्रीलंका में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 1.6 मिलियन है जो कि सरकार से अपनी मांगों की पूर्ति ना होने के कारण असंतुष्ट है। भारत समय-समय पर श्रीलंका में तमिल लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये सहायता देता रहता है। इसका एक कारण यह भी है कि ये लोग भारतीय मूल के हैं, दूसरा वहाँ पर भड़की तमिल हिंसा का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है।

रक्षा क्षेत्र में सहयोगः भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य सहयोग भी स्थापित किये गए हैं। भारत समय-समय पर श्रीलंका की सैन्य क्षमता को विस्तारित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहता है। उदाहरण के रूप में 'सिलिनेक्स', 'मित्र शक्ति' है जिनकी शुरूआत क्रमशः 2005 और 2013 में की गई थी। यह द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास सैनिक प्रशिक्षण कार्यशाला है। इसके अलावा एक अन्य संयुक्त अभ्यास 'दोस्ती' जो कि तटरक्षक बल का है इसमें भारत-श्रीलंका

एवं मालदीव भागीदार हैं। बीते वर्ष भारत ने श्रीलंका को आफशोर पेट्रोल वेसेल प्रदान किया है। श्रीलंका ने वर्ष 2014 में भारत से दो आधुनिक आफशोर पेट्रोल वेसेल की मांग की थी जिसको भारत ने श्रीलंका के सुपुर्द कर दिया।

भारत और श्रीलंका के मध्य मुद्दे

- श्रीलंका की 75 प्रतिशत जनसंख्या बुद्ध एवं सिंहल है। लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या जो हिंदू और तमिल है। साथ ही कई बार श्रीलंका में तमिलों के उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आते हैं जिस पर भारत विरोध जताता है।
- दूसरा प्रमुख मुद्दा दोनों देशों के बीच कच्चातीवू द्वीप है। यह लगभग 295 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग समुद्री सैन्य अभ्यास के लिये किया जाता था। इस द्वीप पर एक सेंट एंथोनी का चर्च है, जहां पर तीर्थ यात्री आते-जाते रहते हैं। हालांकि इस द्वीप का महत्व भारत के लिये रणनीतिक रूप से कम नहीं है, परंतु भारतीय मछुआरों के लिये यह आजीविका का साधन है। भारत मद्रास के जमींदार रामानंद द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कारण उस पर दावा करता था। श्रीलंका भी विभिन्न आधारों के हवाले इस द्वीप पर दावा करता था। वर्ष 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने इस पर श्रीलंका की संप्रभुता मान ली, परंतु इस समझौते में भारतीय तीर्थयात्रियों एवं मछुआरों के लिये कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत भारतीय मछुआरों को वहाँ मछली पकड़ने व आराम करने तथा भारतीय तीर्थ यात्रियों को आने-जाने का अधिकार है जिसको श्रीलंका सरकार नहीं मानती है।
- कुछ समय पहले भारत और श्रीलंका के मध्य एक भूमि पुल का प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच था। इस प्रस्ताव पर तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया था। यह प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है।
- दोनों ही देशों की सेतु समुद्रम परियोजना भी अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ समय पहले पर्यावरण और धार्मिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया था।
- भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता पहले ही हो गया था। दोनों देशों के मध्य बहुत सारे उपभोक्ता सामानों की अवैध तस्करी हो रही है। पाक जलडमरू मध्य के रास्ते भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है, जो दोनों देशों के लिये समुद्री सहयोग में चिंता का विषय बना हुआ है।

चीन-भारत-श्रीलंका की त्रिपक्षीय कूटनीति

चीन भारत का पड़ोसी देश होने के साथ ही एशिया महाद्वीप में भारत का प्रबल प्रतिद्वन्दी भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और श्रीलंका के बीच रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। चीन, श्रीलंका के अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। चीन ने नोरोच्चोलाई विद्युत संयंत्र एवं हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण में पूरी मदद की है। हंबनटोटा बंदरगाह से चीन हिन्द महासागर में स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। इस बंदरगाह को मुख्य तौर कण्टेनर, पेट्रोल आपूर्ति, तेलशोधक कारखानों, हवाई अड्डा सुविधा के हिसाब से विकसित किया गया है। इसके अलावा चीन श्रीलंका को लड़ाकू जेट विमान, परिष्कृत राडार, विमानभेदी तोपों आदि की आपूर्ति भी कर रहा है।

भारत के लिये यह कूटनीतिक रूप से चुनौतिपूर्ण है, क्योंकि चीन हंबनटोटा बंदरगाह से हिन्द महासागर में विस्तारवादी नीति अपनाएगा, जो चीन की स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की ही एक कड़ी है। अभी हाल ही में कोलंबों बंदरगाह के पुनर्निर्माण कार्य में देरी के कारण श्रीलंका ने शिपों को हंबनटोटा स्थानान्तरित करने की बात कही है। जबकि भारत के 70 प्रतिशत शिप कोलम्बो बंदरगाह से ही गुजरते हैं। अगर इन्हें हंबनटोटा स्थानांतरित होना पड़ा तब भारत के लिये चीन के प्रभुत्व वाले हंबनटोटा बंदरगाह पर भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखना काफी कठिन होगा।

चीन अपने हितों को विस्तारित करने के लिये सभी देशों तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इसके लिये उसकी दो योजनाएँ प्रमुख हैं- उनमें पहली योजना सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट तथा दूसरी मेरीटाइम सिल्क रोड परियोजना है। ये दोनों ही परियोजनाएँ वन बेल्ट, वन रोड का हिस्सा हैं। सामरिक दृष्टि से मेरीटाइम सिल्क रोड परियोजना के बीच में ही श्रीलंका आता है। इसी कारण चीन श्रीलंका के बुनियादी संरचना को मजबूत करने में निवेश कर रहा है। यह तो स्पष्ट है कि चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उत्पाद आधारित है, उसकी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति अरब देशों से होती है। अतएव वह श्रीलंका को न केवल आर्थिक बल्कि राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी देख रहा है। भारत को आशंका है कि चीन भविष्य में अपनी रणनीतियों का उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है।

भारत-जापान-श्रीलंका समझौता

भारत द्वारा उठाए गए कदम चीन को भविष्य में कूटनीतिक मात दे सकते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण भारत-जापान-श्रीलंका समझौता है। भारत और जापान ने कोलंबों बंदरगाह को संयुक्त रूप से 'ईस्ट कंटेनर टर्मिनल' के रूप में विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस परियोजना के विकास में 500 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। इस टर्मिनल पर 100 फीसदी का मालिकाना हक श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण का होगा इस समझौते में 51 फीसदी श्रीलंका का तथा 49 फीसदी में भारत और जापान शामिल हैं। वास्तव में कोलंबो बंदरगाह से भारत तथा जापान का 90 प्रतिशत का माल गुजरते हैं। यह यूरोप-मध्य पूर्व, अफ्रीका-एशिया को जोड़ता है, साथ ही यह एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सामरिक रूप से देखें तो हंबनटोटा से यह मात्र 100 मील की दूरी पर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय महत्व रखने वाले शहरों से भी इसकी दूरी कम है। गौरतलब है कि हंबनटोटा बंदरगाह को चीन ने श्रीलंका से 99 अरब डॉलर के बकाया ऋण भुगतान के बदले 99 साल तक के लिये लीज पर ले रखा है। इस प्रकार देखें तो भारत-जापान-श्रीलंका का यह समझौता चीनी प्रसार को रोकने के लिये अच्छी युक्ति हो सकता है।

आगे की राह

अपने अतीत में भारत समुद्री मार्ग की सुरक्षाओं में चूक की वजह से कई समस्याओं का सामना कर चुका है। लिहाजा सुरक्षा एवं व्यापार के दृष्टिकोण से भारत के तीनों तरफ के समुद्री मार्ग का शांत एवं सुरक्षित रहना आवश्यक है। इसलिए भारत एवं श्रीलंका के संबंधों का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। हालाँकि श्रीलंका ने चीन के साथ कुछ परियोजनाओं में अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया है, ऐसे में भारत को चीन की विस्तारवादी नीतियों से श्रीलंका को सतर्क करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही श्रीलंका के हितों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनी निवेश योजनाओं को व्यावहारिक परिणति देनी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. पश्चिमी हिन्द महासागर में भारत और तटीय अफ्रीकी देश

चर्चा का कारण

हाल के वर्षों में भारत सहित विश्व के कई देशों ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी पहुँच बनाने की कोशिश की है, जो इसके सामरिक महत्त्व को दर्शाता है। गौरतलब है कि पश्चिमी हिन्द महासागर पूर्वी अफ्रीका को जोड़ता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन से काफी समृद्ध है।

परिचय

अफ्रीका के 54 देशों में से 38 देश या तो तटीय हैं या फिर द्वीप समूहों में विभाजित हैं। अफ्रीका का 90 प्रतिशत व्यापार समुद्र के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे तो पाएंगे कि मोटे तौर पर 50 प्रतिशत तेल और 40 प्रतिशत तक प्राकृतिक गैस के आवागमन के साथ वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 30 प्रतिशत और कंटेनर यातायात का आधा हिस्सा हिंद महासागर द्वारा वहन किया जाता है, जिससे अफ्रीकी समुद्री डोमेन (African Maritime Domain- AMD) वाणिज्यिक, पर्यावरण, विकासात्मक और सुरक्षा कारणों से अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

अफ्रीका में कच्चे तेल की उपलब्धता व खनन उद्योग में भारी संभावनाओं को देखते हुए यह क्षेत्र वैश्विक आकर्षण का केन्द्र बन गया है। इन्ही सारी खनिजों की संभावनाओं को देखते हुए भारत, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने इस महाद्वीप पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू कर दिया है।

पश्चिमी हिन्द महासागर में अफ्रीकी देश भारत की सामरिक समुद्री सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये भारत के लिए ऊर्जा एवं व्यापार का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश हैं। भारत के कुल तेल आयात के लगभग 89 प्रतिशत की ढुलाई हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए ही होती है। इसी तरह भारत कोयले का भी व्यापक आयात पश्चिमी अफ्रीकी देशों से करता है। विगत वर्षों के दौरान अफ्रीका के पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के साथ भारत के समुद्री संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं।

वर्तमान परिदृश्य

भारत, अफ्रीकी महाद्वीप की विविधता को लेकर काफी सजग है। इसके अलग-अलग देशों से परस्पर संबंध बनाने के लिए एक जैसी नीति कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के हर क्षेत्र की कूटनीति एक अलग तरह से तय होती है। फिर चाहे वो पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका हो, या फिर मध्य, उत्तर और दक्षिणी अफ्रीकी देशों से संबंध हो। इसीलिए अब भारत ने अफ्रीकी देशों से संबंध बेहतर करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक कॉनक्लेव आयोजित करने शुरू किए हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने पश्चिमी अफ्रीका के साथ प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के लिए पहली क्षेत्रीय कॉफ्रेंस आयोजित की थी, जो नाइजीरिया के शहर अबूजा में हुई थी। इस कॉफ्रेंस का आयोजन भारत के कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) ने किया था। इसने यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, एक्जिम बैंक और इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS) की मदद से आयोजित किया था।

पूर्वी अफ्रीकी देश

वेस्टर्न इंडियन ओशन मरीन साइंस एसोसिएशन (Western Indian Ocean Marine Science Association-WIOMSA) के अनुसार पश्चिमी हिन्द महासागर (Western Indian Ocean-WIO) क्षेत्र, 10 देशों- सोमालिया, केन्या, तन्जानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरीशस और रीयूनियन द्वीप (फ्राँस) से मिलकर बना है। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थान रखता है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार पूर्वी अफ्रीकी देशों- जीबूती, इथियोपिया, मेडागास्कर और मॉरीशस का दौरा किया था। इन सभी देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने कई दशकों से इन देशों से नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों से भारत ने हमेशा बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत के कूटनीतिक प्रयास जैसे कि 2004 का टेक्नो-इकोनॉमिक-अप्रोच फॉर अफ्रीका-इंडिया मूवमेंट (TEAM-9) जैसे आयोजन में आठ पश्चिमी अफ्रीकी देश शामिल थे। फिर भी, पश्चिमी अफ्रीकी देशों से भारत के रिश्ते सीमित ही थे। हालांकि अब इन देशों से संबंधों का आयाम बदल रहा है। विश्लेषकों के अनुसार भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूरी ने अब भारत को पूर्वी अफ्रीकी देशों से संबंध बेहतर करने की दिशा में प्रेरित किया है। आज भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए, पूर्वी अफ्रीका सबसे नया बाजार बनकर उभरा है, जो भारत को कच्चा तेल और गैस जैसे संसाधन निर्यात कर सकता है।

प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देश एवं भारत

मोजाम्बिक (हिंद महासागर का मोती): हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के तीन दिन के दौरे पर गए थे। विशेषकर समुद्री सुरक्षा और रक्षा की साझीदारी के लिहाज से ये दौरा बहुत ही सफल रहा। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच पिछले तीन वर्षों में दो उच्चस्तरीय दौरे हुए। भारत और मोजाम्बिक अपनी समुद्री साझेदारी को काफी अहमियत देते हैं। जुलाई 2017 में तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मोजाम्बिक का दौरा किया था। इसके बाद पूर्व विदेश राज्य मंत्री जनरल (रिटायर्ड) डॉक्टर वी. के. सिंह ने भी फरवरी 2018 में मोजाम्बिक का दौरा किया था। इन दोनों ही दौरों से समुद्री रास्तों की सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में दोनों देशों में सहयोग और बढ़ा है।

मोजाम्बिक, हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में सामरिक रूप से बहुत अहम स्थान पर स्थित है। इसका समुद्र तट 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। मोजाम्बिक, हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री कारोबारी रास्ते के निकट मोजाम्बिक चैनल के करीब स्थित है। भारत का बहुत सा समुद्री कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसीलिए, इस रास्ते से गुजरने वाले भारतीय वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा भारत के राष्ट्रहित में है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है। इससे पहले भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से मोजाम्बिक चैनल में गश्त लगाया करते थे।

इस क्षेत्र से भारत की ऊर्जा और सुरक्षा के हित जुड़े हुए हैं। भारत की तीन कंपनियाँ- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड मिलकर रोवुमा मोजाम्बिक के अपतटीय क्षेत्र में लगभग 6 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियाँ मोजाम्बिक की कंपनी गोल्फिन्हो और अटुम मोजाम्बिक को एलएनजी प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियाँ, जैसे जिंदल स्टील एंड

पावर, द एस्सार ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड और टाटा स्टील ने कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों के क्षेत्र में भी निवेश किया है।

भारत के व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, भारतीय रक्षा मंत्री के दौरे के दौरान भारत ने मोजाम्बिक के साथ दो सहमति पत्रों पर भी दस्तखत किए हैं। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ व्हाइट शिपिंग यानी कारोबारी जहाजों की आवाजाही की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही समुद्र में खनिज की तलाश के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। भारत ने इस दौरान मोजाम्बिक की पुलिस को 44 गाड़ियाँ भी सौंपीं। साथ ही मोजाम्बिक की नौसेना को भारत की तरफ से दो तेज रफ्तार वाली निगरानी नावें भी दी गईं, जो किसी संदिग्ध जहाज का पता लगाने और उसका पीछा करने में बहुत मददगार साबित होंगी। इन फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स को समुद्र तटीय इलाके की निगरानी में प्रयोग किया जाएगा। भारत के नजरिए से देखें तो पूर्वी कारोबारी रास्तों के साथ-साथ पश्चिमी व्यापारिक समुद्री रास्तों की हिफाजत भी बहुत अहम है। खास तौर से उस जगह जहाँ अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। हाल के दिनों में इस समुद्री रास्ते की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इस संदर्भ में मोजाम्बिक, हिंद महासागर में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साझीदार बनकर उभरा है।

केन्या: भारत और केन्या सामुद्रिक रूप से पड़ोसी देश हैं। साथ ही दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक समुद्री व्यापारिक संबंध हैं। जनवरी, 2017 में केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा (Uhuru Keyatta) के भारत यात्रा के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका उद्देश्य था- समुद्री सुरक्षा की निगरानी को बढ़ावा देना, खुफिया जानकारी तंत्र को मजबूत करना, सफेद शिपिंग जानकारी (White shiping information) और संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना।

भारत और केन्या दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) में (विशेषकर पश्चिमी हिन्द महासागर) समुद्री सुरक्षा सहयोग की वकालत की है। केन्याई नौसेना हिन्द महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) में भी भाग लेती है और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी आपस में सूचनाएँ साझा करती है।

भारत केन्या के नौसेना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ केन्या को सीमित रक्षा सहायता भी सुलभ कराता है, लेकिन यह अतीत में एक महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार के रूप में खुद को पेश करने में काफी हद तक नाकाम रहा है। वर्ष 2016 में केन्या की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत एवं केन्या के बीच अधिक से अधिक समुद्री सहयोग की जरूरत को रेखांकित किया और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, विशेषज्ञता एवं अनुभवों को साझा करने, प्रशिक्षण एवं संस्था निर्माण, जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने और उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुरक्षा अध्ययन संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री डकैती के कारण केन्या के शिपिंग उद्योग को हर साल 300 मिलियन से लेकर 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अत: दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग केन्याई अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

दक्षिण अफ्रीका: भारत को उप-सहारा अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य तय करना चाहिए, ताकि हिंद महासागर में भारत की अगुवाई के लिए आम सहमति कायम की जा सके। इसके अलावा, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से भी भारत काफी कुछ सीख सकता है। आवागमन वाले समुद्री मार्गों की सुरक्षा नि:संदेह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार काफिले का संरक्षण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा नीति का एकमात्र पहलू नहीं है। हाल के वर्षों में समुद्री विकास और 'ब्लू इकोनॉमी' पर विशेष जोर देने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका इस मामले में भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वर्ष 2014 में अपनी समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से 'ऑपरेशन फाकिसा' नामक परियोजना का शुभारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के अनुमानों के अनुसार, महासागरों में वर्ष 2033 तक दक्षिण अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 177 अरब रैंड (लगभग 12.8 अरब अमेरिकी डॉलर) का योगदान करने और लगभग 1 मिलियन रोजगारों को सृजित करने की क्षमता है। इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है- समुद्री परिवहन एवं विनिर्माण, अपतटीय तेल एवं गैस खोज, एक्वाकल्चर से जुड़े अनगिनत कार्य, समुद्री सुरक्षा सेवाएँ और महासागर से जुड़ा गवर्नेंस। इसलिए देश के विशाल समुद्र तट की क्षमता का दोहन करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं में एक साथ काम करने के लिए सरकारी विभागों, कारोबारी जगत, श्रम और शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एकजुट कर रही है। अत: भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ समुद्री संसाधनो की खोज और निष्कर्षण में साझीदार बन सकता है।

तंजानिया: तंजानिया के पास एक छोटी नौसेना है और वह उभरते सामुद्रिक खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। तंजानिया के तट के पास प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार पाये जाने के बाद अब सरकार आधारभूत अवसंरचना के विकास पर जोर दे रही है। साथ ही स्थानीय खतरों से निपटने के लिए सरकार काफी सावधानीपूर्वक कदम उठा रही है। इस प्रकार के खतरों से निपटने में भारत तंजानिया का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश रहा है। जुलाई, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तंजानिया यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर बल दिया गया था। गौरतलब है कि समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद हैं। इसलिए आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत और तंजानिया के बीच समुद्री सहयोग किस प्रकार बढ़ता है, विशेषकर समुद्री क्षेत्रों में जैसे- पोर्ट कनेक्टिविटी, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों का प्रबंधन।

जिबूती: जिबूती में वर्ष 2009 में जिबूती आचार संहिता (DCoC) के लागू होने के साथ ही इस क्षेत्र में डकैती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली है। यह देश सामरिक रूप से लाल सागर के प्रवेश द्वार पर अवस्थित है। भारत का जिबूती के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है और साथ हीं भारतीय नौसैनिक जहाज भूमध्यसागर (Mediterranean Sea) में आवागमन के लिए जिबूती के बंदरगाह का उपयोग करता रहा है। वर्ष 2015 में युद्धग्रस्त यमन में 3000 से अधिक भारतीय नागरिक फँसे हुए थे, जिनको बचाने के लिए भारतीय सैन्य बल ने 'ऑपरेशन राहत' चलाया था जिनमें जिबूती ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अक्टूबर, 2017 में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए जिबूती का चयन किया था। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह ने हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग की इच्छा को दोहराया।

मेडागास्कर: भारत और मेडागास्कर हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) में एक सशक्त समुद्री भागीदार हैं। आईओआर में मेडागास्कर की सामरिक रूप से अवस्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के पोत परिवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2016 में पहली बार समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पश्चिम हिन्द महासागर क्षेत्र के सभी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मेडागास्कर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समुद्री संचार तंत्र को मजबूत करने और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए वर्ष 2007 से ही भारत ने उत्तरी मेडागास्कर में राडार और निगरानी सिस्टम को स्थापित किया हुआ है।

मार्च, 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न की जिससे दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूती मिली। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे आपसी हितों के मुद्दों पर जोर दिया गया। उदाहरणस्वरूप समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और आईयूयू (IUU-Illegal, Unreported, Unregulated) मछुआरों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रदान करना तथा भारतीय और मेडागास्कर के तटरक्षक एवं नौसैनिक बलों के बीच समन्वय स्थापित करना।

सेशेल्स: भारत के लिए सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में एक ग्रेट गेम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का हवाई व नौसैनिक अड्डा डिएगो-गार्सिया, हिंद महासागर में भू-सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। भारत सामुद्रिक सुरक्षा के मोर्चे पर अब चीन के समानांतर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इससे भारत डिएगो-गार्सिया व जिबूती पर निगरानी रख सकता है और एजंप्शन से लेकर ईरान के चाबहार तक सामरिक रेखा बनाकर चीन की ग्वादर-जिबूती सामरिक रेखा को कमजोर कर सकता है। इस दृष्टि से एजंप्शन द्वीप में नौसैनिक अड्डा बनाने संबंधी भारत को मिली यह सफलता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

आगे की राह

विगत कुछ दशकों में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक रिश्तों की डोर काफी मजबूत हुई है। उदाहरण के लिए, आपसी व्यापार काफी तेजी से फल-फूल रहा है। हालांकि इन देशों के साथ आपसी व्यापार में महज कुछ वस्तुओं (कोयला, सोना, और रिफाइंड पेट्रोलियम तेल) का ही वर्चस्व रहा है। इसके साथ ही कई भारतीय कंपनियों ने इन देशों में मुख्य रूप से संसाधन क्षेत्र में भारी-भरकम निवेश भी किया है। पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी के केंद्र में निःसंदेह ऊर्जा सुरक्षा ही है। हालांकि, पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों को महज संसाधन आयात से परे देखने की भी आवश्यकता है। अफ्रीकी देश न केवल ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बल्कि भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम तेलों के निर्यात के प्रमुख गंतव्य भी हैं। इसके अलावा, भारत इन देशों की गरीब आबादी को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी तरह इन देशों से दालों का आयात भारत की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही भारत भी ज्ञान को साझा करके एवं इन देशों के किसानों को और अधिक आसानी से नई तकनीक सुलभ कराके अफ्रीका की खाद्य असुरक्षा को दूर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ तक कि समुद्री सहयोग के मामले में भी भारत के हित सिर्फ ऊर्जा को हासिल करने और संसाधनों की ढुलाई तक ही सीमित नहीं हैं। 'ब्लू इकोनॉमी (समुद्र की बदौलत आर्थिक विकास)' पर विशेष जोर देने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि मुख्य रूप से अर्थनीति ही इन अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को नया आयाम दे रही है इसलिए भारत और इन देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक एवं सुरक्षा संबंध निश्चित रूप से इन सभी देशों के हित में होंगे।

आज का भारत, तमाम देशों के साथ नजदीकी संबंध रखने में यकीन रखता है। आज की तारीख में भारत तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति है। साथ ही अफ्रीका को लेकर उसकी अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं। यही वजह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा से जुड़े हितों को देखते हुए अफ्रीकी देशों के साथ और नजदीकी बढ़ा रहा है, ताकि इन देशों के साथ मिलकर साझा विकास, सुरक्षा और सभी देशों के हितों को पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

7. ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 : जी-20 देशों के लिए सबक

चर्चा का कारण

हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नजर रखने वाली परिवर्तन के प्रभावों पर नजर क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी ने 'ब्राउन टू ग्रीन' (Brown to Green) नामक रिपोर्ट-2019 जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का खतरा पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस रिपोर्ट में जी-20 देशों में 1998 से 2017 के बीच हुई हजारों मौतों का ब्यौरा दिया गया है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में भारत द्वारा किये जा रहे प्रयास की तारीफ भी की गई है।

परिचय

क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एक वैश्विक स्तर की गैर सरकारी संस्था है, जिसमें G-20 के प्रतिनिधि सदस्य एवं 14 शोध संस्थाएं शामिल हैं। इनमें भारत से भी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) की भी मदद ली गई थी। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा 80 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक वर्ष 'ब्राउन टू ग्रीन' रिपोर्ट जारी की जाती है। जलवायु परिवर्तन पर यह विश्व की सबसे व्यापक रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन संबंधी पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्रदान करना है, साथ ही इन देशों द्वारा उनकी उपलब्धियों और कमियों का ब्यौरा देना भी है। ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट सभी जी-20 देशों की महत्वपूर्ण उपयोगी सूचना को जैसे शमन, जलवायु परिवर्तन व वित्त संबंधी विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को समाविष्ट करती है। इसका उद्देश्य जी-20 देशों के नीति निर्माताओं, नागरिक, समाज और वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को जागरूक करना है।

'ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट' के मुख्य बिन्दु

- इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर

हर साल औसतन 12 हजार लोगों की मौत, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। इनमें भारत को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहाँ हर साल औसतन 3661 लोगों की मौत हुई है।

- रिपोर्ट में जी-20 के जिन और देशों में औसतन सालाना मौत के आंकड़े ज्यादा है, उनमें भारत के बाद रूस दूसरे नंबर पर है, जहां हर साल औसतन 2944 लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जहाँ 1121 लोगों को मौतें हुई है, चौंथे नंबर पर इटली है, जहाँ 1005 लोगों को मौत हुई है, वहीं पांचवें स्थान पर जर्मनी है, जहाँ औसतन हर साल 475 लोगों की मौत हुई है।
- हालाँकि, इसके चलते होने वाले आर्थिक नुकसान में सबसे ज्यादा नुकसान जिन देशों में हुआ है, उनमें अमेरिका सबसे शीर्ष पर है, जिसमें सालाना 48 हजार मिलियन डालर से ज्यादा का नुकसान है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसमें सालाना 36 हजार मिलियन डालर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है।
- अति मौसमी परिवर्तन के कारण लगभग 16000 मृत्यु एवं लगभग 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान प्रत्येक वर्ष जी-20 देशों को उठाना पड़ रहा है।
- जी-20 के सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन के लिये एक अनुकूल नीति तैयार की है। जी-20 देशों का कार्बन उत्सर्जन 2018 में 1.8% तक बढ़ा है इसका कारण उच्च आर्थिक विकास एवं जीवाश्म ईंधन आपूर्ति है। तीव्र विकास के परिणामस्वरूप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया में विद्युत की मांग और आपूर्ति से जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा है।
- जी-20 देशों को निश्चित रूप से ग्रीनहाउस गैस को 2030 तक (2010 के स्तर से) 45 प्रतिशत तक कम करना है, ताकि IPCC द्वारा वैश्विक रूप से तय लक्ष्य 1.5°C तापमान को प्राप्त किया जा सके। साथ ही इन देशों को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त करना है।
- वर्ष 2018 में ही जी-20 देशों में विद्युत क्षेत्र में कार्बन का उत्सर्जन 1.8 प्रतिशत बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जाओं का लगभग 25.5 फीसदी हिस्सा ही उपयोग में लाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिहाज से काफी कम है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन को 2030 तक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों से तथा 2040 तक वैश्विक स्तर पर समाप्त की जरूरत है।
- वर्ष 2018 में परिवहन द्वारा कार्बन उत्सर्जन में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कम कार्बन उत्सर्जन ईंधन को परिवहन में उपयोग करने से कार्बन में 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसके अलावा 2035 तक कारों में उपयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन को कम करना होगा। साथ ही विमानन क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी को कम करना तथा कार्बन मुक्त ईंधन वाले सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना होगा।
- वर्ष 2018 में जी-20 देशों में भवन निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तापमान को 1.5°C तक लाने के लिये नई इमारतों के निर्माण में 2020-25 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाना होगा, जो संभवत: चुनौतीपूर्ण है।
- जी-20 देशों द्वारा 2017 तक 127 बिलियन डॉलर तक की सब्सिडी प्रदान की गई है, वहीं 9 देश ऐसे हैं जहाँ पर ईंधन की कीमत बढ़ने का कारण सब्सिडी घटाया जाना है। इसके बावजूद बहुत से देशों में बुनियादी ढांचे और उत्पादन में सब्सिडी को बरकरार रखा गया है। इस कारण भविष्य में सब्सिडी को जीवाश्म ईंधन से स्थानान्तरित कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिये दिया जाए।

जी-20 देशों का तुलनात्मक अध्ययन

- जलवायु परिवर्तन के कारण जी-20 देशों में सबसे अधिक नुकसान भारत, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी को हुआ है, जिन्हें इस मामले में उच्च रैंक दी गई है।
- जलवायु सुभेद्यता के कारण ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, इटली, तुर्की आदि में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही है।
- सऊदी अरब को छोड़कर सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नीतियां बनाई हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले भारत ने ही ठोस और दीर्घकालीन प्रयास किए है। जिसने धरती के बढ़ते तापमान (ग्लोबल वार्मिग) को 1.5 डिग्री के आसपास ही सीमित रखा है। इस दौरान भारत की ओर से वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को सराहा गया है।

जी-20 देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन के लिए कार्य

- जी-20 देश में भारत, रूस, सऊदी अरब, तुर्की तथा चीन और यूरोपीय संघ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। एनडीसी लक्ष्य के तहत भूमि उपयोग, भूमि प्रयोग में परिवर्तन और वन उत्सर्जन संबंधी विषयों को रखा गया है।
- दक्षिण कोरिया, कनाड़ा और ऑस्ट्रेलिया एनडीसी का अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं।
- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, यू.के. और यू.एस. ने कार्बन उत्सर्जन हेतु दीर्घावधि रणनीति बनाई है।
- यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेशन के द्वारा तैयार फ्रेमवर्क के तहत अर्जेन्टीना, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, दक्षिण कोरिया आदि अपनी रणनीति बना रहे हैं तथा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने कानूनी रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution)

वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते में तय किये गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, सभी सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किए गये। इस योगदान को ही 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंश (NDCs) कहा गया है। एनडीसी के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के लिये दीर्घावधि एवं अल्पावधि रणनीति बनाई जाती है।

- अभी भी जी-20 देशों में 82% तक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। भारत ऐसा देश है जिसने नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन के लिये सर्वाधिक निवेश किया है।
- कुछ देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, रूस, मैक्सिको, जापान आदि हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है कि कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए।
- जी-20 के कुछ देश जैसे कनाडा, फ्रांस, जापान तथा यू.के. ने जीवाश्म ईंधन आधारित कार की बिक्री बन्द कर दी है तथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने परिवहन क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को कम किया है।
- भवन निर्माण में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका,

ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग आधारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये सबसे सराहनीय प्रयास चीन और भारत द्वारा किया गया है।

- कृषि और भूमि प्रयोग के मामले में जी-20 देश समग्र कार्बन उत्सर्जन के लिए 40% तक हिस्सेदार हैं, इसका कारण वनों की कटाई एवं चारागाह आदि में वृद्धि है। कृषि एवं भूमि प्रयोग के क्षेत्र में चीन, भारत और मैक्सिको को दीर्घावधि योजना बनाने के लिये उच्च स्थान दिया गया है।
- जलवायु परिवर्तन शमन के लिए जी-20 देशों द्वारा वित्तीय उपलब्धता को बढ़ाने के लिये नीतिगत निर्णय भी लिये जा रहे हैं। वित्तीय उपलब्धता को बढ़ाने के लिये उभरती अर्थव्यवस्था द्वारा सराहनीय कदम उठाए गये हैं। भारत और चीन के वाणिज्यिक बैंको ने 'हरित ऋण' योजना को प्रोत्साहन दिया है।
- सऊदी अरब सहित, जी-20 देशों को 127 बिलियन डॉलर की कोयला सब्सिडी दी गई है तथा तेल एवं गैस के लिये सब्सिडी को कम किया गया है।

विश्लेषण

जलवायु परिवर्तन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2015-2050 तक के बीच ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये लगभग 900 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा यदि भारत की बात करें तो उसे अकेले इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करना होगा। विश्व के कई ऐसे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन देशों को अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिये ही बाह्य आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में वे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।

दूसरा प्रमुख बिन्दु यह है कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने में कमजोर देश सक्षम नही हैं। चूंकि कमजोर देश वित्तीय रूप से जरूरी बुनियादी ढाँचे में तथा तकनीक विशेषज्ञता में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं जहाँ पर वो विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते। यदि वो पुरानी तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो वे कार्बन उत्सर्जन नहीं रोक पाएगें और यदि नई तकनीकी को खरीदने या स्वनिर्माण पर जोर देते हैं तो उन्हें अपने देश की जनता की महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों से समझौता करना पड़ेगा। ऐसे देश अभी भी गरीबी, भुखमरी, पर्यावरणीय आपदा, मानव पूंजी की कमी आदि से जूझ रहे हैं। यह निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अल्पविकसित देशों की पृष्ठभूमि को देखते हुए, कार्बन उत्सर्जन को रोकना इनकी द्वितीय प्राथमिकता बन जाती है जो सम्भवतः विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

वैश्विक स्तर पर सभी देशों में शहरीकरण अपना पांव पसार रहा है। अव्यवस्थित शहर के विकास से कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं इनका कार्बन उत्जर्सन में भी बड़ा योगदान है। यदि गौर किया जाए तो झुग्गी-झोपड़ियों का अव्यवस्थित फैलाव, शासन की ढिलाई, भोजन की बर्बादी, निजी परिवहनों का अंधाधुंध प्रयोग आदि कई कारण हैं जिनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। यू.एन. के मुताबिक यदि टिकाऊ आहार एवं भोजन की बर्बादी को ही ध्यान में रखा जाए तो 60 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर सभी देशों द्वारा शहरों के व्यवस्थित विकास को रचनात्मक तरीके से पूर्ण करना एक बड़ी चुनौती है।

जी-20 देशों में कई देश ऐसे हैं, जहाँ गरीबी एक बड़ा संकट है, इन देशों को शून्य भुखमरी तक लाना न केवल इन देशों का बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इन देशों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिये उठाए गए कदम तथा कार्बन उत्सर्जन के लिये आवश्यक कदम परस्पर विपरीत प्रतीत होते हैं।

हाल ही में अमेरिका जैसे विकसित देश ने स्वयं को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया जबकि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश जो अपने देश के लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं, साथ ही वे अनुकूल तकनीकी का विकास करने में भी क्षमतावान है फिर भी वैश्विक पूंजीवादी आर्थिक परिदृश्य में बढ़ती प्रतियोगिकता में स्वयं को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिये जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नकारात्मक रूख अपना रहे हैं। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति किस हद तक पूर्ण हो पाएगी, यह वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है क्योंकि इन देशों पर ही तकनीकी एवं वित्तीय सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी डाली गई है।

आगे की राह

- कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण कार्बन के दोषपूर्ण पुनर्चक्रण से है। अतएव सभी देशों को वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए तथा इसके साथ ही बाजार में ऐसी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करना चाहिए जिनके कारण पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा हो।
- न्यून कार्बन उत्सर्जन प्रणाली वाले ऊर्जा संसाधनों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि को बढ़ाने हेतु बनाई गई योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन होना चाहिए।
- उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाए; साथ ही कम लागत पर तकनीकी सहायता एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन पर प्रोत्साहन राशि व पय्ररवरण प्रतिकूल अवशिष्ट के लापरवाही पूर्वक निस्तारण पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।
- वैश्विक स्तर पर लोगों की खाद्यान्न उपयोगिता की आदतों में बदलाव के लिये जागरूक किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए।
- भारत पेरिस समझौते पर अपनी सहमति जताने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (Public Health Emergency) लग जाना और फिर इसके बाद रिपोर्टों में यह प्रकाशित होना कि देश में कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ, चिंता का विषय है। इसलिए भारत में तमाम मुहिमों और योजनाओं के बाद असल में अब जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. ब्रिक्स सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन

प्र. ब्रिक्स समूह किन कारकों की वजह से वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं? चर्चा कीजिए। साथ ही इस समूह के समक्ष चुनौतियों का भी वर्णन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ है। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय 'नवोन्मेषी भविष्य के लिये आर्थिक वृद्धि' (Economic Growth for An Innovative Future) रखा गया था।

ब्रिक्स देशों में संसाधन

- ब्रिक्स देशों की आबादी पूरे विश्व की लगभग 40 प्रतिशत है, परन्तु वैश्विक व्यापार में इसका मात्र 15 प्रतिशत का योगदान है। इन देशों के पास विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 4 खरब अमेरिकी डॉलर का है। ब्रिक्स समूह में चीन और भारत पूरे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय देश हैं। चीन विनिर्माण क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है तो भारत सेवा क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।

ब्रिक्स बैठक के प्रमुख बिन्दु

- इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विकास, नवोन्मेषी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, संगठनात्मक आतंकवाद, मनी लान्ड्रिंग, आदि मुद्दों पर बातचीत की गई।
- भारत, रूस और चीन ने संगठनात्मक आतंकवाद को मुख्य रूप से इंगित किया है और कहा है कि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है।

ब्रिक्स देशों का महत्त्व

- **बड़ी जनसंख्या और मध्यम वर्गः** ब्रिक्स देशों के पास बड़ी जनसंख्या है, उसमें भी युवा जनसंख्या का अनुपात काफी बड़ा है।
- **वैश्वीकरणः** वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आपस में करीब लाया है, जिससे लगभग सभी देशों की निर्भरता एक-दूसरे पर बढ़ गई है।
- **औद्योगिक लाभांशः** ब्रिक्स देशों की कंपनियाँ आर्थिक उदारीकरण के कारण लाभांश में हैं। वर्तमान में विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों की सूची में इन देशों की कंपनियाँ अपना स्थान बनाए हुए हैं।

भारत के लिए ब्रिक्स क्यों जरूरी

- वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे के लिये न केवल आर्थिक प्रतिद्वन्दी हैं बल्कि वैचारिक रूप से भी इनमें काफी भिन्नता है। वैश्विक बाजार में इन तीनों देशों की पकड़ बहुत मजबूत है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बढ़ते विवाद के कारण कई तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थीं। जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग कर सकता है।

ब्रिक्स देशों के समक्ष चुनौतियाँ

- कई बार देखा गया है कि ब्रिक्स देशों में आपसी समन्वय का अभाव है, साथ ही सदस्य देशों के भीतर नीतिगत समन्वय का भी अभाव देखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत-चीन संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तनाव देखा गया।

आगे की राह

- ब्रिक्स देशों के भविष्य को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में ये देश वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ■

2. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल : एक विश्लेषण

प्र. धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? साथ ही बताएँ कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला के पक्ष में सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

- भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है।

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

- धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर

- पश्चिम की पूर्णतया अलगाववादी नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के विपरीत भारत की धर्मरिपेक्षता समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है बल्कि अंतर-धार्मिक समानता पर जोर देती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है।

आगे की राह

- सरकार को चाहिए कि वह इसका सरंक्षण सुनिश्चित करे चूँकि धर्मनिरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा मान लिया गया है।
- धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये। ■

3. मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा : मानवीय गरिमा पर आघात

प्र. भारत में सफाईकर्मियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इनकी बेहतरी के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 'हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स – एन इनिशियल असेसमेंट (Health, Safety and Dignity of Sanitation Workers - An Initial Assesment) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों में सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा करने वाले कानून और नियमों की कमी है या कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है या फिर व्यावहारिक रूप से ये प्रभावी नहीं हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाथ से मैला सफाई वाले कुछ सफाईकर्मियों को श्रम के एवज में पैसे के बजाय भोजन दिया जाता है।

भारत की स्थिति

- जुलाई, 2019 में संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया था कि देश के 18 राज्यों के 170 जिलों में हाथ से मैला सफाई के 54,130 मामले दर्ज किए गए हैं।

मैला ढोने वालों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सबसे गम्भीर किस्म की है।
- **कमजोर कानूनी सुरक्षाः** अनौपचारिक और स्थायी सफाई कर्मियों के नियोजन के पीछे मौजूदा कानूनों का निष्क्रिय होना है।
- **वित्तीय असुरक्षाः** सफाई कर्मियों के रूप में नियोजित लगभग सभी व्यक्ति तथाकथित निम्न जातियों से आते हैं जो अत्यधिक गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं जिनकी मजदूरी बहुत ही कम और अनिश्चित होती है।
- **सामाजिक भेदभावः** सफाई कर्मियों के साथ सामाजिक भेदभाव बहुत गहराई के साथ विद्यमान है।

मैला ढोने की प्रथा की निरंतरता का कारण

- जाति व्यवस्था पर आधारित, शुष्क शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र, भ्रष्टाचार, संरक्षण प्रणाली इत्यादि।

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय

- **संवैधानिक प्रयासः** समानता का अधिकार– अनुच्छेद 14, 15, 16, 17
- **कानूनी प्रयासः** मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 [Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993] का प्रावधान। इस अधिनियम के तहत लोगों के मैला ढोने के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आगे की राह

- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्वासः** मैला ढोने से मुक्त कराये गये लोगों के लिए व्यावहारिक और समावेशी योजना चलाये जाने की आवश्यकता है।
- **लैंगिक पहलूः** सभी पुनर्वास योजनाओं और कार्यक्रमों में लैंगिक पहलू का ध्यान रखना भी जरूरी है।
- **नियोजन का औपचारिक स्वरूपः** जोखिम से भरे कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर लोगों को नियोजित किया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता। इसलिए सफाई के कार्य को पूर्णतः औपचारिक रूप से ही सम्पन्न कराये जाने से संबंधित कानूनी बाध्यता की जानी चाहिए। ■

4. सी.जे.आई. कार्यालय बनाम सूचना का अधिकार

प्र. 'सूचना के अधिकार का प्रयोग संस्थाओं अथवा लोक प्राधिकारियों की जासूसी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर इस कथन का परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पाँच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है।

फैसले के प्रमुख बिन्दु

- **सी.जे.आई. (CJI) कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण हैः** सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के कार्यालय के अनुसार ही एक पब्लिक अथॉरिटी है।

- **निजता का अधिकार बनाम सूचना का अधिकारः** कोर्ट ने कहा कि जजों की निजी सम्पत्ति की जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे न्यायाधीशों की निष्पक्षता और उनके कर्त्तव्य प्रभावित हो सकते हैं।
- **कालेजियम व्यवस्था बनाम पारदर्शिताः** इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कालेजियम द्वारा नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए सिफारिश किए गये नामों को तो सार्वजनिक किया जा सकता है लेकिन इसके पीछे के आधार क्या हैं यह जानकारी नहीं दी जा सकती है।
- **पारदर्शिता और स्वतंत्र न्यायपालिकाः** केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना (Basic Structure) का सिद्धांत पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए साफ किया कि आरटीआई का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

फायदे

- अब नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा जो पहले नहीं था।
- इससे पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय की अवधारण को बल मिलेगा।

आगे की राह

- सरकारी संस्थाएं गोपनीयता और स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं को पारदर्शी बनाने से रोकती रहेगी तो लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य ही बाधित होगा। पारदर्शिता संस्थाओं की निष्पक्षता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है इसलिए आरटीआई के दायरे को सीमित करने के बजाय उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही आरटीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका संवैधानीकरण किये जाने की आवश्यकता है। ■

5. श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन एवं भारत के लिए उसके मायने

प्र. भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इन दोनों देशों के मध्य विवादित मुद्दों को भी रेखांकित करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे को जीत हासिल हुई। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हे बधाई दिया साथ ही उन्हे भारत आने का न्यौता भी दिया, जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया ने स्वीकार कर लिया है।

भारत-श्रीलंका सहयोग

- **राजनैतिकः** भारत एवं श्रीलंका के मध्य बेहतर संबंध के लिये, राजनैतिक स्थिरता की प्रासंगिकता दोनों ही देशों में समान रूप से आवश्यक है। श्रीलंका में 2015 में सत्ता परिवर्तन के बाद नवीन युग की शुरूआत हुई, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरीसेना ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिये प्रयास किये।
- **सांस्कृतिक सहयोगः** भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक रूप से काफी समानता रखते हैं, परंतु पड़ोसी देश होने के नाते संबंधों में यदा-कदा खटास आ जाती है।
- **शिक्षाः** भारत श्रीलंका को शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग दे रहा है। इसके तहत भारत श्रीलंकाई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

भारत और श्रीलंका के मध्य मुद्दे

- श्रीलंका की 75 प्रतिशत जनसंख्या बुद्ध एवं सिंहल है। लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या जो हिंदू और तमिल है। साथ ही कई बार श्रीलंका में तमिलों के उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आते हैं जिस पर भारत विरोध जताता है।

चीन-भारत-श्रीलंका की त्रिपक्षीय कूटनीति

- चीन भारत का पड़ोसी देश होने के साथ ही एशिया महाद्वीप में भारत का प्रबल प्रतिद्वन्दी भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और श्रीलंका के बीच रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। चीन, श्रीलंका के अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। चीन ने नोरोच्चोलाई विद्युत संयंत्र एवं हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण में पूरी मदद की है। हंबनटोटा बंदरगाह से चीन हिन्द महासागर में स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। इस बंदरगाह को मुख्य तौर कण्टेनर, पेट्रोल आपूर्ति, तेलशोधक कारखानों, हवाई अड्डा सुविधा के हिसाब से विकसित किया गया है।

आगे की राह

- अपने अतीत में भारत समुद्री मार्ग की सुरक्षाओं में चूक की वजह से कई समस्याओं का सामना कर चुका है। लिहाजा सुरक्षा एवं व्यापार के दृष्टिकोण से भारत के तीनों तरफ के समुद्री मार्ग का शांत एवं सुरक्षित रहना आवश्यक है। ■

6. पश्चिमी हिन्द महासागर में भारत और तटीय अफ्रीकी देश

प्र. भारत द्वारा पूर्वी अफ्रीकी देशों से संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उठाये जा रहे कदमों का बिन्दुवार विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल के वर्षों में भारत सहित विश्व के कई देशों ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी पहुँच बनाने की कोशिश की है, जो इसके सामरिक महत्त्व को दर्शाता है।

पूर्वी अफ्रीकी देश एवं भारत

- **मोजाम्बिक (हिंद महासागर का मोती):** हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के तीन दिन के दौरे पर गए थे। विशेषकर समुद्री सुरक्षा और रक्षा की साझीदारी के लिहाज से ये दौरा बहुत ही सफल रहा।
- **केन्याः** भारत और केन्या सामुद्रिक रूप से पड़ोसी देश हैं। साथ ही दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक समुद्री व्यापारिक संबंध हैं।

- **दक्षिण अफ्रीका:** भारत को उप-सहारा अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य तय करना चाहिए, ताकि हिंद महासागर में भारत की अगुवाई के लिए आम सहमति कायम की जा सके।
- **जिबूती:** जिबूती में वर्ष 2009 में जिबूती आचार संहिता (DCoC) के लागू होने के साथ ही इस क्षेत्र में डकैती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली है।
- **सेशेल्स:** भारत के लिए सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में एक ग्रेट गेम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है।

आगे की राह

- विगत कुछ दशकों में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक रिश्तों की डोर काफी मजबूत हुई है। उदाहरण के लिए, आपसी व्यापार काफी तेजी से फल-फूल रहा है। हालांकि इन देशों के साथ आपसी व्यापार में महज कुछ वस्तुओं (कोयला, सोना, और रिफाइंड पेट्रोलियम तेल) का ही वर्चस्व रहा है। इसके साथ ही कई भारतीय कंपनियों ने इन देशों में मुख्य रूप से संसाधन क्षेत्र में भारी-भरकम निवेश भी किया है। ■

7. ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 : जी-20 देशों के लिए सबक

प्र. 'ब्राउन टू ग्रीन' रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा करें, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर इससे निपटने के लिये किस तरह की चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नजर रखने वाली परिवर्तन के प्रभावों पर नजर क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी ने 'ब्राउन टू ग्रीन' (Brown to Green) नामक रिपोर्ट-2019 जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का खतरा पूरी दुनिया में फैल रहा है।

'ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट' के मुख्य बिन्दु

- इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हर साल औसतन 12 हजार लोगों की मौत, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। इनमें भारत को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहाँ हर साल औसतन 3661 लोगों की मौत हुई है।
- रिपोर्ट में जी-20 के जिन और देशों में औसतन सालाना मौत के आंकड़े ज्यादा है, उनमें भारत के बाद रूस दूसरे नंबर पर है, जहा हर साल औसतन 2944 लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जहाँ 1121 लोगों को मौतें हुई है, चौंथे नंबर पर इटली है, जहाँ 1005 लोगों को मौत हुई है, वहीं पांचवें स्थान पर जर्मनी है, जहां औसतन हर साल 475 लोगों की मौत हुई है।

जी-20 देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन के लिए कार्य

- जी-20 देश में भारत, रूस, सऊदी अरब, तुर्की तथा चीन और यूरोपीय संघ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। एनडीसी लक्ष्य के तहत भूमि उपयोग, भूमि प्रयोग में परिवर्तन और वन उत्सर्जन संबंधी विषयों को रखा गया है।
- दक्षिण कोरिया, कनाड़ा और ऑस्ट्रेलिया एनडीसी का अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं।
- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, यू.के. और यू.एस. ने कार्बन उत्सर्जन हेतु दीर्घावधि रणनीति बनाई है।

विश्लेषण

- जलवायु परिवर्तन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2015-2050 तक के बीच ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये लगभग 900 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा यदि भारत की बात करें तो उसे अकेले इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करना होगा। विश्व के कई ऐसे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन देशों को अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिये ही बाह्य आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में वे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।

आगे की राह

- कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण कार्बन के दोषपूर्ण पुनर्चक्रण से है। अतएव सभी देशों को वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए तथा इसके साथ ही बाजार में ऐसी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करना चाहिए जिनके कारण पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा हो।
- न्यून कार्बन उत्सर्जन प्रणाली वाले ऊर्जा संसाधनों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि को बढ़ाने हेतु बनाई गई योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन होना चाहिए। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड

हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड क्या है

2.1 एचएस (Harmonized System) छह अंकों का एक पहचान कोड है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization - WCO) ने विकसित किया है।

2.2 सीमा शुल्क अधिकारी इन अंकों का उपयोग हर उस जिंस को मंजूरी देने के लिये करते हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाता है या उसे पार करता है।

2.3 दरअसल इस प्रणाली से किसी उत्पाद के व्यापार की प्रक्रिया में समानता बनाए रखने और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत कम करने में मदद मिलती है।

2.4 डब्ल्यूसीओ की वेबसाइट के अनुसार, इस प्रणाली में अब तक करीब 5000 उत्पादों के समूह हैं। हर किसी का अपना छह अंकों का कोड (HS Code) है।

2.5 वर्तमान में, 200 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों के संग्रह के लिए एचएस कोड प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौजूद 98 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं को एचएस कोड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.6 एचएस कोड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी फर्म भी करते हैं।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने खादी उत्पादों के लिये निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिये अलग से एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (Harmonized System Code) आवंटित किया है।

खादी के लिए एचएस कोड क्यों

3.1 खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) के अनुसार पूर्व में खादी के पास अलग से एचएस कोड नहीं था। परिणामस्वरूप खादी के निर्यात का आंकड़ा कपड़ा मद में आता था। अब न केवल खादी निर्यात पर नजर रखा जा सकेगा बल्कि निर्यात रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी।

3.2 केंद्र सरकार ने देश और विदेश में खादी की बिक्री, मांग, उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी का स्तर बरकरार रखने हेतु विश्व में इसकी अलग पहचान के लिए जरूरी एचएस कोड दिलाने का फैसला किया था।

3.3 गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बड़ी मांग है क्योंकि इसका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग

4.1 ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए इसे संबंधित, संगठित तथा कार्यान्वित करना।

4.2 इसके कार्यों के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग में लगे कारीगरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन तथा उनमें सहयोगात्मक प्रयास की भावना उत्पन्न करने के अलावा, उत्पादकों की आपूर्ति हेतु कच्चा माल एवं औजारों के संग्रह को बढाना, अनिर्मित माल के रूप में कच्चा माल के प्रशोधन हेतु सामान्य सेवा सुविधा का सृजन तथा खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के विपणन हेतु सुविधा का प्रावधान शामिल है।

4.3 उत्पादकता बढ़ाने, श्रम को कम करने एवं उनकी स्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ाने एवं ऐसे अनुसंधान से प्राप्त प्रमुख परिणामों के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर-परंपरागत ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के उपयोग के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में उपयोग लायी जा रही उत्पादन तकनीकी एवं औजारों में अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित करने तथा इससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व आयोग पर है।

अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) मुख्यालय, रोम में बीज संधि का उद्घाटन करते हुए भारत में किसान अधिकारों के बारे में विशिष्ट कानून के बारे में दुनिया को जानकारी दी।

1.2 गौरतलब है कि खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का आठवाँ सत्र (रोम) इटली में 11 से 16 नवंबर, 2019 तक आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

2.1 भारत सरकार ने रोम, इटली में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के आठवें सत्र का उद्घाटन करते हुए 150 देशों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि पादप आनुवंशिकी संसाधनो का संरक्षण 'मानवता की साझा जिम्मेदारी' है।

2.2 खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture- ITPGRFA) जिसे बीज संधि के रूप में भी जाना जाता है, खाद्य और कृषि के लिए दुनिया के पादप आनुवंशिक संसाधनों (PGRFA) के संरक्षण, विनिमय और स्थायी उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, साथ ही साथ इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले उचित और न्यायसंगत लाभ को साझा करता है।

2.3 यह राष्ट्रीय कानूनों के अधीन किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देता है।

भारत का रुख

3.1 भारत ने स्पष्ट किया कि 'खाद्य सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता संभव नहीं है'। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह नहीं भूलना चाहिए कि खाद्य सर्वोच्च मौलिक अधिकार है।

3.2 विकसित देशों में "किसान उत्पादित खाद्य का अधिकार" सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इससे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता।

3.3 समाज ने आदिकाल से प्लान्टस जेनेटिक संसाधनों के अस्तित्व् को अक्षुण्ण रखा है और अब यह उत्तरदायित्व हमारा है।

3.4 भारतीय कानून में, एक किसान को PPV-FR अधिनियम 2001 के तहत ब्रांड नेम को छोड़कर संरक्षित प्रजाति के बीजों सहित उनको बचाकर रखने, इस्तेमाल करने, बोने, पुनः उनकी बुवाई करने, आदान प्रदान करने, आपस में बांटने अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त है और हमारा विधान संधि के अनुच्छेद 9 के लिए पूरी तरह से अनुपालन करता है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

4.1 पौधों की किस्मों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) अधिनियम 2001 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।

4.2 इसका उद्देश्य किसानों और प्रजनकों (Breeder's) के अधिकारों की रक्षा करना है।

4.3 यह अधिनियम नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

4.4 पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उनके संरक्षण व सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के सन्दर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

4.5 देश में कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसन्धान और विकास के लिये निवेश को प्रोत्साहित करना।

4.6 देश के बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

जीडीपी की गणना और आधार वर्ष

चर्चा का कारण

1.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के लिये आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि इस बारे में विचार कर रही विशेषज्ञों की समिति को थोड़े और आंकड़ों का इंतजार है।

क्या होता है आधार वर्ष

2.1 जीडीपी को तय करने के लिए आधार वर्ष तय किए जाते हैं। यानी उस आधार वर्ष में देश का जो कुल उत्पादन था, उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ा है या घटा है, उसे ही जीडीपी दर माना जाता है।

2.2 आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं, जबकि चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव होता है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है वह चालू वर्ष के निकट ही हो, ताकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का आकलन किया जा सके।

आवश्यकता क्यों

3.1 सरकार समय-समय पर आधार वर्ष में बदलाव इसलिए करती है ताकि अर्थव्यवस्था के बारे में आंकड़ों का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से तालमेल रखा जा सके।

क्या होती है जीडीपी

4.1 किसी देश में एक निर्धारित समय अंतराल में तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहते हैं।

4.2 यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का विस्तृत मापन होता है और इससे अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में पता चलता है। वैसे तो इसकी गणना सालाना होती है लेकिन भारत में इसे हर तीन महीने यानी तिमाही में भी आंका जाता है।

जीडीपी का मापन

5.1 जीडीपी तीन तरह से मापी जा सकती है। आपूर्ति अथवा उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मांग अथवा खर्च पद्धति से मापी जा सकती है। इसके दो प्रकार होते हैं - नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी।

5.2 नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर की जाती है। यह सभी आंकड़ों का एक कच्चा योग होती है। वहीं, रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित किया जाता है। भारत में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, वह रियल जीडीपी के होते हैं।

आर्थिक विकास का पैमाना

6.1 जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। देश में ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं। यानी इससे आर्थिक समृद्धि के संकेत मिलते हैं। जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा जीडीपी निकलती है।

6.2 भारत में कृषि, उद्योग और सेवा तीन अहम हिस्से हैं, जिनके आधार पर जीडीपी तय होती है। इसके लिए देश में जितना भी व्यक्तिगत उपभोग होता है, जितना निवेश होता है और सरकार देश में जितना खर्च करती है, इन सबको जोड़ दिया जाता है।

6.3 इसके अलावा कुल निर्यात में से कुल आयात को घटा दिया जाता है और इस तरह जो आंकड़ा सामने आता है, उसे भी ऊपर किए गए खर्च में जोड़ दिया जाता है। यही देश की कुल जीडीपी होती है।

आधार वर्ष बदलने पर विवाद क्यों

7.1 वर्ष 2015 में आखिरी बार सरकार ने जीडीपी की गणना के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे जिसके बाद विगत चार वर्षों में आकलन की पद्धति और डेटा के कारण वर्तमान जीडीपी संबंधी आँकड़े विवादास्पद बने हुए हैं।

7.2 सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 5 प्रतिशत पर पहुँच गई है, जबकि कुछ विश्लेषकों के अनुसार बीते कुछ वर्षों में देश की जीडीपी 0.36 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत अधिक अनुमानित की गई है।

राष्ट्रपति शासन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में सरकार न बनने की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लगा दिया है।

बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन

2.1 जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए 'निलंबित अवस्था' में रख सकते हैं।

2.2 6 महीने के बाद, यदि फिर किसी राजनितिक दल को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक व्यवस्था

3.1 राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है।

3.2 ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

3.3 संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है।

3.4 यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है।

राष्ट्रपति शासन की अवधि

4.1 यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्या होते हैं बदलाव

5.1 इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

5.2 प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है।

5.3 राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। ऐसी स्थिति में संसद ही राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है।

5.4 संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। इसके अलावा जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति, 'अनुच्छेद 356 शासित राज्य' के लिए कोई अध्यादेश भी जारी कर सकता है।

राजनीतिक दलों के पास विकल्प

6.1 राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर कोई भी राजनीतिक दल राज्यपाल के पास जाता है और उन्हें विश्वास दिलाने में कामयाब रहता है कि उनके पास बहुमत के लिए पर्याप्त संख्या है तो ऐसे में राज्यपाल को अगर यकीन हो जाता है कि सरकार गठन हो सकता है तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति शासन को खत्म करने की सिफारिश कर राजनीतिक दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं।

न्यूमोनिया पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल दुनिया में न्यूमोनिया के चलते 8 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 वर्ष 2018 में इस बीमारी से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत, अफ्रीकी देश नाइजीरिया के बाद दूसरे पायदान पर था। बीते वर्ष भारत में इसकी वजह से 1,27,000 बच्चों की मौत हुई।

2.2 तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, जहां 58,000 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चौथे व पांचवें पायदान पर दो और अफ्रीकी देश कांगो और इथोपिया हैं। कांगो में 40,000 और इथोपिया में 32,000 बच्चों की मौत हुई।

2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार यह रोग अब सुसाध्य है और इससे बचाव भी संभव है, बावजूद इसके वैश्विक स्तर पर हर 39 सेकंड में एक बच्चे की मौत होती है।

2.4 यूनिसेफ की रिपोर्ट अनुसार, न्यूमोनिया के कारण जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से अधिकतर की उम्र दो वर्ष से कम थी। 1,53,000 बच्चों की मौत जन्म के पहले महीने में ही हो गई। इस बीमारी के कारण सर्वाधिक 1,62,000 बच्चों की मौत नाइजीरिया में हुई।

वायु प्रदूषण मौत की बड़ी वजह

3.1 यूनिसेफ ने कहा कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों में मौत के कुल मामलों में 15 फीसदी की वजह निमोनिया है। इसके बावजूद वैश्विक संक्रामक रोग शोध पर होने वाले खर्च में से महज 3 फीसदी खर्च इस रोग पर किया जाता है।

3.2 न्यूमोनिया के कारण होने वाली मौत और गरीबी के बीच भी मजबूत संबंध है। पेयजल तक पहुंच, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नहीं होना और पोषण की कमी व भीतरी वायु प्रदूषण के कारण इस रोग का जोखिम बढ़ जाता है। न्यूमोनिया के कारण होने वाली कुल मौत में से आधी की वजह वायु प्रदूषण है।

ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड न्यूमोनिया

4.1 यूनिसेफ ने रिपोर्ट में कहा है कि विश्व के विभिन्न देश यह लगभग भूल गये हैं कि निमोनिया एक महामारी है। यूनिसेफ और अन्य स्वास्थ्य और बाल संगठनों ने इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए वैश्विक कार्रवाई की अपील की है।

4.2 अगले साल जनवरी में, स्पेन में 'ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड न्यूमोनिया' पर मंथन होगा, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे।

न्यूमोनिया

5.1 न्यूमोनिया वास्तव में श्वांस संबंधी समस्या है जिसमें फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी का संक्रमण हो जाता है।

5.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, न्यूमोनिया से होने वाली मौत का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया है।

5.3 फेफड़ों में संक्रमण (न्यूमोनिया), मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्क में संक्रमण), बैक्टेरेमिया (रक्त में संक्रमण), ओटाइटिस मेडिया (कानों में संक्रमण) और साइनोसाइटिस (साइनस संक्रमण) आदि को न्यूमोकॉकल बीमारियाँ कहा जाता है।

5.4 24 माह से 59 माह के ऐसे बच्चों को न्यूमोकॉकल बीमारियां होने की आशंका अधिक होती है जिनका जन्म समय से पहले हुआ हो, जिनका वजन सामान्य से कम हो, जिनके फेफड़ों का पूर्ण विकास न हुआ हो, फेफड़ों में हवाओं की गुहा संकरी हों, जिन्हें कुपोषण हो या जिनका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो।

5.5 न्यूमोकॉकल बीमारी से बुजुर्गों के प्रभावित होने की आशंका अधिक होती है क्योंकि उम्र के साथ साथ उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है।

बचाव

6.1 न्यूमोकॉकल कॉन्जूगेट टीका (पीसीवी) और एचआईबी टीका नवजात शिशुओं और बच्चों में न्यूमोकॉकल बीमारियों और एच इन्फ्लुएंजा बीमारी से बचाव के लिए कारगर होता है।

6.2 इससे बचाव के लिए स्वच्छ पर्यावरण, कुपोषण की समस्या का हल, शुरूआती छः माह तक स्तनपान, समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी समुचित देखभाल जरूरी है। ऐसा होने पर ही न्यूमोनिया से होने वाली शिशु मृत्युदर पर लगाम कसी जा सकती है। टीके की मदद से न्यूमोनिया को रोका जा सकता है।

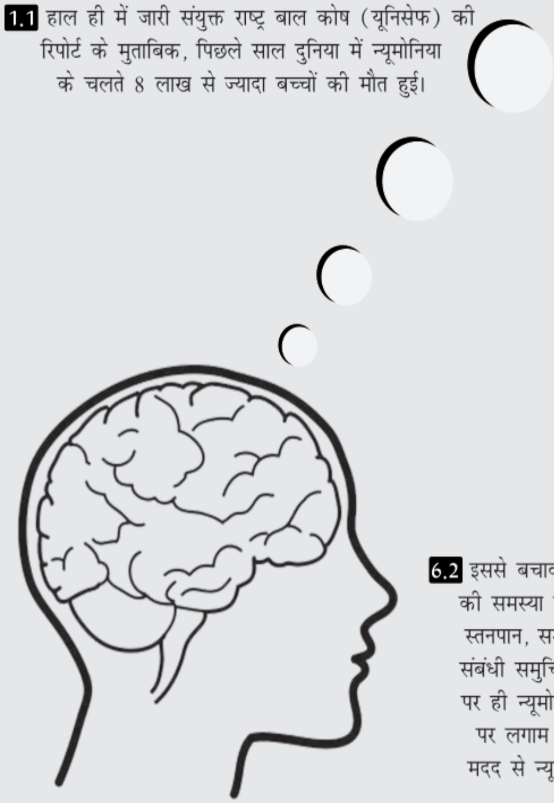

स्पेस इन्टरनेट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में स्पेस एक्स नामक एजेंसी ने अंतरिक्ष में 60 उपग्रह भेजा है। इन उपग्रहों के जरिए स्पेस एक्स पूरी दुनिया में तेज गति वाली इंटरनेट सेवा मुहैया कराने का काम करेगी।

1.2 इनका नाम फाल्कन रॉकेट रखा गया है। इन फाल्कन रॉकेट की यह चौथी अंतरिक्ष यात्रा है। कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल वाले इन छोटे छोटे उपग्रहों का वजन महज 260 किलोग्राम है।

आवश्यकता क्यों

2.1 वर्तमान में, लगभग 4 बिलियन लोग विश्वसनीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुँच नहीं रखते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर वितरित करने के पारंपरिक तरीके - फाइबर-ऑप्टिक केबल या वायरलेस नेटवर्क - पृथ्वी पर हर जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं।

2.2 कई दूरदराज के क्षेत्रों, या कठिन इलाके वाले स्थानों में, केबल या मोबाइल टावर लगाना संभव नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष में उपग्रहों के संकेत इस बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

3.1 कुछ सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में स्थापित कर दिये गये हैं। अगले चरण में पूरी दुनिया के लिए इन्हीं सैटेलाइटों के जरिए इंटरनेट सेवा को स्थापित करने की योजना पर इसके बाद काम प्रारंभ हो जाएगा।

3.2 इन उपग्रहों की एक खास बात यह भी है कि इस पर आने वाले खर्च को कम करने के लिए भी स्पेस एक्स ने एक नया तरीका निकाला है। अब कंपनी पुराने रॉकेट के कलपुर्जों का इस्तेमाल करके उनको अंतरिक्ष में भेज रही है।

3.3 दरअसल स्पेस एक्स ने अगले साल उत्तरी अमेरिका और कनाडा में सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके बाद अब दुनिया भर में आबादी वाले इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए इस तरह 24 बार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

वर्तमान स्थिति

4.1 वर्तमान में इंटरनेट सेवा के लिए हम जमीन के नीचे बिछी अथवा समुद्र की गहराई में बिछाये गये मजबूत केबल के जरिए संपर्क स्थापित रखते हैं, अर्थात संचार महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने वाले केबलों के माध्यम से होता है।

4.2 गौरतलब है कि हाल ही में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में इन केबलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से इंटरनेट सेवा बाधित भी हो चुकी है, उस दौरान खास तौर पर विकसित देशों की बैंकिंग सेवा पर इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ा था।

अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट प्रणाली

5.1 अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट प्रणाली, वास्तव में, कई वर्षों से उपयोग में है- लेकिन केवल कुछ ही उपयोगकर्ताओं के लिए। इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा सिस्टम भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करते हैं।

5.2 यह कक्षा भूमध्य रेखा से सीधे ऊपर, पृथ्वी की सतह से 35,786 किमी की ऊँचाई पर स्थित है। इस कक्षा में उपग्रह लगभग 11,000 किमी प्रतिघंटा की गति से चलते हैं, और पृथ्वी की एक परिक्रमा को उसी समय पूरा करते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है।

5.3 कंपनी की प्रस्तावित योजना के तहत पृथ्वी से करीब 280 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइटों को स्थापित किया जाना है। इन्हें उस कक्षा में स्थापित रखने की तकनीकी अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

5.4 दुनिया भर में आबादी वाले इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए इस तरह उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसके बाद इन सभी की नेटवर्किंग हो जाएगी तब नेटवर्क की समस्या का समाधान हो जाएगा।

निचली कक्षा में चुनौतियाँ

6.1 पृथ्वी से करीब 280 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइटों को स्थापित किया जाना है किन्तु उसी कक्षा में कई अन्य सैटेलाइटों के पहले से होने की वजह से इनके चक्कर काटने के दौरान एक सैटेलाइट के दूसरे से टकरा जाने का खतरा भी है।

6.2 निचली कक्षा कम ऊंचाई के कारण, उपग्रह के संकेत अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को कवर करते हैं। नतीजतन, ग्रह के हर हिस्से तक संकेतों को पहुंचाने के लिए कई और उपग्रहों की आवश्यकता होगी।

6.3 इसके अतिरिक्त, इन कक्षाओं में उपग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को संतुलित करने के लिए - भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों की गति को दोगुना से अधिक 27,000 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करना पड़ेगा।

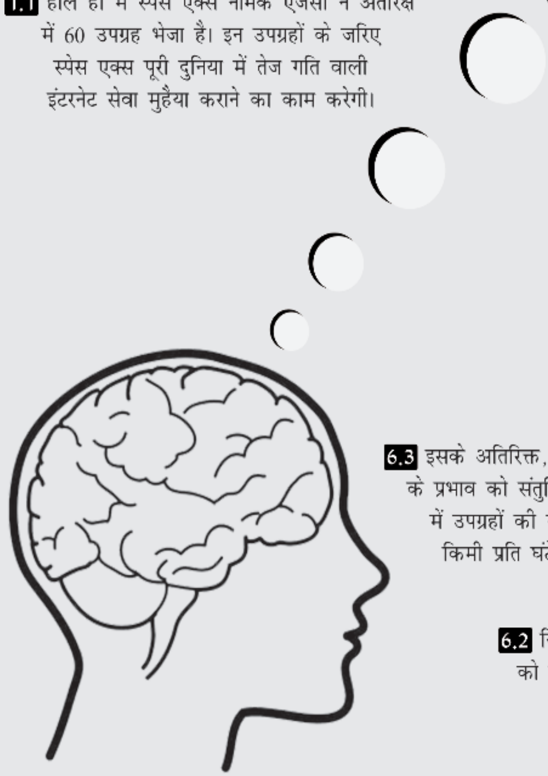

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2018

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2018' जारी की है।

1.2 यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान शाखा का वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस से मिले आंकड़ों के आधार पर दुर्घटनाओं, इससे होने वाली मौतों एवं घायलों के बारे में वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

2.1 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में 4,64,910 के मुकाबले 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

2.2 इस अवधि के दौरान मृत्यु दर में भी लगभग 2.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017 में 1,47,913 के मुकाबले 2018 में 151471 लोग मारे गए थे। सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या में 2017 की तुलना में 2018 में 0.33 प्रतिशत की कमी आई।

2.3 रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2010 तक दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष दर वर्ष मामूली उतार-चढ़ाव के साथ वे कुछ हद तक स्थिर हो गए।

2.4 इसके अलावा, 2010-2018 की अवधि में दुर्घटनाओं के साथ-साथ दुर्घटनाओं की वार्षिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और ऑटोमोबाइल के विकास की अधिक दर के बावजूद, पिछले दशकों की तुलना में कम थी।

राजमार्ग पर अधिक घटना

3.1 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें कुल सड़क नेटवर्क का 1.94 प्रतिशत शामिल है, कुल सड़क दुर्घटनाओं के 30.2 प्रतिशत और 2018 में 35.7 प्रतिशत मौतों का कारण है।

3.2 राज्य के राजमार्गों में सड़क की लंबाई का 2.97 प्रतिशत हिस्सा 25.2 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 26.8 प्रतिशत मृत्यु का कारण है। अन्य सड़कें, जो कुल सड़कों का लगभग 95.1 प्रतिशत हैं, क्रमश: 45 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 38 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार थीं।

3.3 सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के द्वारा दुर्घटना संबंधी मौतों के संदर्भ में, पैदल चलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत थी, साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत थी और दोपहिया वाहनों की संख्या 36.5 प्रतिशत थी। साथ में ये श्रेणियां दुर्घटना संबंधी मौतों का 53.9 प्रतिशत है और वैश्विक रुझानों के अनुरूप सबसे असुरक्षित श्रेणियां हैं।

अन्य बिंदु

4.1 2018 के दौरान, पिछले दो वर्षों की तरह, 18 से 45 वर्ष के युवा वयस्क लगभग 69.6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं के शिकार बने। कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 18 वर्ष से 60 वर्ष आयुवर्ग के कामकाजी आयु समूह की हिस्सेदारी 84.7 प्रतिशत थी।

4.2 2018 में हिट एंड रन के मामलों में 18.9 प्रतिशत मौतें हुई थीं, जबकि 2017 में यह 17.5 प्रतिशत थी। 2018 में लगभग 56 प्रतिशत व्यक्तियों की मौत आमने-सामने टक्कर और उसके बाद पीछे से लगी टक्कर के कारण हुई। इस श्रेणी में 2018 में मारे गए व्यक्तियों के संदर्भ में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई थी।

राज्यवार स्थिति

5.1 सड़क हादसों में होने वाली मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में 19वें नंबर है। वहीं पूरे देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं (63,920) तमिलनाडु में हुई हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इस मामले में दिल्ली 17वें स्थान पर है।

5.2 रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 2017 के मुकाबले सड़क हादसों की संख्या में 5.88 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सुझाव

6.1 सड़क सुरक्षा कानून में भी व्यापक सुधार की जरूरत है जिसकी सरकार कोशिश कर रही है ताकि फर्जी लाइसेंस, एक प्रदेश में अयोग्य होने पर दूसरे प्रदेश से लाइसेंस बनवाना, शराब पीकर वाहन चलाने व तमाम दूसरी व्यावहारिक शिकायतों में कमी आएगी।

6.2 इसके अलावा टायरों के निर्माण की प्रक्रिया को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा। सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा सभी को मिलकर इसे जनआंदोलन का रूप देना ही होगा तभी हर साल लाखों लोगों की असमय मौतें रुक पाएंगी जो बड़ी उपलब्धि होगी।

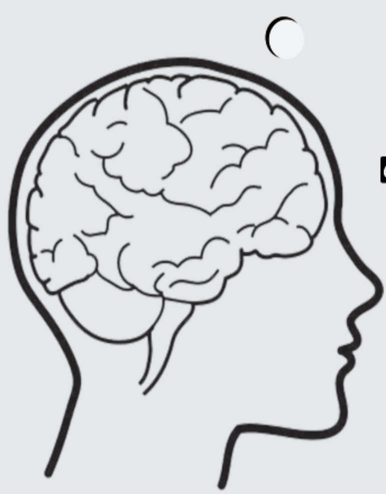

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड

प्र. हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह छः अंकों का एक पहचान कोड है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित किया है।
2. इस कोड का उपयोग केवल निजी फर्म करते हैं।
3. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी ओर ग्रामोद्योग उत्पाद की माँग नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः एचएस (Harmonized System) छः अंकों का एक पहचान कोड है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization – WCO) ने विकसित किया है। सीमा शुल्क अधिकारी इन अंकों का उपयोग हर उस जिंस को मंजूरी देने के लिये करते हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाता है या उसे पार करता है। एचएस कोड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी फर्म भी करते हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बड़ी मांग है क्योंकि इसका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रकार तीनों कथन गलत हैं। ■

2. अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।
2. इसका उद्देश्य किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः पौधों की किस्मों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) अधिनियम, 2001 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों और प्रजनकों (Breeder's) के अधिकारों की रक्षा करना है। यह अधिनियम नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

3. जीडीपी की गणना और आधार वर्ष

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव नहीं होता है, जबकि आधार वर्ष की कीमतें अस्थिर मानी जाती हैं।
2. जीडीपी को तय करने के लिए आधार वर्ष जरूरी है।
3. जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः जीडीपी को तय करने के लिए आधार वर्ष तय किए जाते हैं। यानी उस आधार वर्ष में देश का जो कुल उत्पादन था, उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ा है या घटा है, उसे ही जीडीपी दर माना जाता है। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं, जबकि चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव होता है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है वह चालू वर्ष के निकट ही हो, ताकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का आकलन किया जा सके। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. राष्ट्रपति शासन

प्र. राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 365 में दिए गए हैं।
2. राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
3. संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. न्यूमोनिया पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

प्र. न्यूमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 2018 में न्यूमोनिया से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत पहले पायदान पर था।
2. न्यूमोनिया वास्तव में श्वास संबंधी समस्या है।
3. नयूमोकॉकल बीमारी से बुजुर्गों के प्रभावित होने की आशंका कम होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः वर्ष 2018 में इस बीमारी से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत, अफ्रीकी देश नाइजीरिया के बाद दूसरे पायदान पर था। बीते वर्ष भारत में इसकी वजह से 1,27,000 बच्चों की मौत हुई। न्यूमोनिया वास्तव में श्वांस संबंधी समस्या है जिसमें फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी का संक्रमण हो जाता है। न्यूमोकॉकल बीमारी से बुजुर्गों के प्रभावित होने की आशंका अधिक होती है क्योंकि उम्र के साथ साथ उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। इस प्रकार कथन 2 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

6. स्पेस इन्टरनेट

प्र. स्पेस इन्टरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्पेस एक्स नामक एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह का नाम फॉल्कन रॉकेट रखा गया है।
2. स्पेस एक्स पूरी दुनिया में तेज गति वाली इंटरनेट सेवा मुहैया कराने का कार्य करेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में स्पेस एक्स नामक एजेंसी ने अंतरिक्ष में 60 उपग्रह भेजा है। इन उपग्रहों के जरिए स्पेस एक्स पूरी दुनिया में तेज गति वाली इंटरनेट सेवा मुहैया कराने का काम करेगी। कंपनी की प्रस्तावित योजना के तहत पृथ्वी से करीब 280 किलोमीटर की ऊँचाई पर इन सैटेलाइटों को स्थापित किया जाना है। इन्हें उस कक्षा में स्थापित रखने की तकनीकी अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2018

प्र. भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2018 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में पूरे देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ तमिलनाडु में हुई हैं।
2. सड़क हादसों में होने वाली मौत के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में 17वें नंबर पर है।
3. भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान शाखा का वार्षिक प्रकाशन है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2018' जारी की है। सड़क हादसों में होने वाली मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में 19वें नंबर है। वहीं पूरे देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं (63,920) तमिलनाडु में हुई हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इस मामले में दिल्ली 17वें स्थान पर है। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'नाडू-नेडू' कार्यक्रम लॉन्च किया है?

- आंध्र प्रदेश

2. हाल ही में वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?

- गणित

3. गोल्डन लीफ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है?

- तम्बाकू

4. हाल ही में 25वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया?

y

- द वीपिंग वुमन

5. भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 की परेड के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है?

- ब्राजील

6. कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन किस राज्य में किया जायेगा?

- पंजाब

7. हाल ही में किस भारतीय ने ब्रिक्स इनोवेटर प्राइज 2019 जीता है?

- रवि प्रकाश

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत की प्रमुख जनजातियों का विवरण देते हुए बताएँ कि इनके समक्ष कौन सी समस्याएँ विद्यमान हैं, साथ ही इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी विवेचना करें।

2. सार्वजनिक संस्थाओं की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर कई बार सवाल खड़े किये जाते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे इनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होते हैं। चर्चा करें।

3. नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं? इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

4. समान नागरिक संहित का वर्णन करते हुए इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा करने के साथ इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों की भी चर्चा करें।

5. पेड न्यूज क्या है? क्या पेड न्यूज हाल के वर्षों में अधिक संस्थागत और संगठित हो गया है? चर्चा करें।

6. पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दों पर भारत-नेपाल संबंधों में मतभेद हुए हैं। क्या इन मतभेदों में भारत की भूमिका ज्यादा है? चर्चा करें।

7. 'भारतीय समाज और राजनीति में महिलाओं की भूमिका आवश्यक है।' इस संदर्भ में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. जॉर्डन, इजराइल से पट्टे की भूमि वापस लेगा

जार्डन के सुल्तान ने हाल ही में घोषणा की है कि इजरायल द्वारा पट्टे पर ली गई जमीन के दो टुकड़े (अल-बाकुरा और अल-घमर) जार्डन की 'पूर्ण संप्रभुता' को वापस कर दिए जाएंगे। दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक शांति समझौते की 25वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया है।

11 नवम्बर को जैसे ही पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, वैसे ही सीमा पर फाटक बंद कर दिए गए। फिलहाल इजरायल को इस भूमि पर प्रवेश से रोक दिया गया। इसे जॉर्डन और इजरायल के बीच बिगड़ते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा था। यद्यपि इजराइल का 70 वर्षों से अधिक समय से इस कृषि भूमि पर कब्जा है।

1994 के शांति समझौते के तहत इन क्षेत्रों को इस धारणा के साथ पट्टे पर देने की अनुमति दी गई थी कि इसे एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। इजराइल को समाधान मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सुल्तान की घोषणा से इसके खत्म होने और जार्डन के इसी वर्ष इलाके पर नियंत्रण कर लेने के आसार हैं। 1994 की शांति संधि के तहत इजरायल के किसान नहरईम और तजोफर जार्डन क्षेत्रों में भूमि पर खेती कर सकते थे। इसे अरबी में बाकुरा और घरम के रूप में जाना जाता है।

1994 की शांति संधि के तहत नियंत्रित यह भूमि जॉर्डन-इजराइली सीमा पर है। यह कई दशकों से इजराइली समूहों के निजी स्वाामित्व में है। दोनों देश के बीच 1948 से लेकर 1994 तक युद्ध में रत थे। बाद में दोनों देशों के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत इजराइल ने जार्डन से 25 वर्षों की लीज पर जार्डन का अल-बाकुरा व अल-घमर क्षेत्र लिया था। ■

2. हाइड्रो पावर प्लांट से भी पर्यावरण को नुकसान

जलविद्युत (हाइड्रो पावर) को मोटे तौर पर जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल्स) से उत्पन्न बिजली की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है, और कई मामलों में यह सच भी है। लेकिन एक नए अध्ययन में कहा गया है कि जलविद्युत परियोजनाओं का जलवायु पर प्रभाव पूरी दुनिया में अलग-अलग होता है। कुछ जलविद्युत परियोजनाओं में जीवाश्म ईंधन को जलाने की तुलना में अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (एसीएस) की पत्रिका एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने परिणामों के तहत यह जानकारी दी है कि हाइड्रो पावर से संबंधित अध्ययन 104 देशों के 1,473 जलविद्युत परियोजनाओं पर किया गया है।

उन्होंने बांध बनाने के कारण होने वाले उत्सर्जन का भी अनुमान लगाया। टीम ने पाया कि जलविद्युत से उत्सर्जन, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के उत्सर्जन की तुलना में बहुत अधिक था, जो कि जलवायु के लिए यह अच्छा नहीं है। लेकिन कोयले और प्राकृतिक गैस के उपयोग से बिजली बनाने से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में जलविद्युत जलवायु के लिए बेहतर है।

इस बात की पुष्टि बायोसाइंस में काफी समय पहले प्रकाशित एक अध्ययन ने भी की है, इसमें कहा गया है कि, जलविद्युत बांध पहले के अनुमान से कहीं अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोषी हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि 100 साल पुराने बांध, धान के खेतों और बायोमास जलाने से भी अधिक मीथेन का उत्सर्जन करते हैं।

जलविद्युत बांध मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे करते हैं? इस बारे में बताया गया है कि जैविक सामग्री, वनस्पति, तलछट और मिट्टी के नदियों के पानी के साथ बहकर बांध में पहुंचने के दौरान विघटन होता है जिससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ के अनुसार दुनिया भर में अभी अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का दो-तिहाई हिस्सा जलविद्युत (हाइड्रोपावर) से होता है, जिसमें हजारों नई जलविद्युत परियोजनाएं या तो चल रही हैं या दुनिया भर में निर्माणाधीन हैं।

जलविद्युत को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है तथा इसका जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग होता है। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि पनबिजली संयंत्रों से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन पवन-ऊर्जा उत्पादन करने के बराबर होती है। हालांकि, हाइड्रोपावर के जलवायु प्रभाव के अधिकांश अध्ययनों में कुछ कारकों की अनदेखी की गई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में परिवर्तन जो तब होता है, जब जलविद्युत संयंत्रों के लिए बांध बनाने हेतु प्राकृतिक धारा, पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप किया जाता है। साथ ही इसके कारण मीथेन उत्सर्जन से भविष्य में तापमन बढ़ने की आशंका रहती है।

हालांकि, कुछ जलविद्युत परियोजनाओं का उत्सर्जन कोयला और प्राकृतिक गैस संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक था जोकि जलवायु के लिए ठीक नहीं है।

इस विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि क्षेत्र के हिसाब से उत्सर्जन अलग-अलग था:

पश्चिमी यूरोप में नई जल विद्युत परियोजनाओं का जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगभग न के बराबर था, जबकि पश्चिमी अफ्रीका के उन सभी जलवायु क्षेत्रों में कोयले और प्राकृतिक गैस संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत परियोजनाओं का जलवायु पर अधिक प्रभाव था। शोधकर्ताओं ने कहा कि जलविद्युत संयंत्रों के योजना बनाने और निर्माण से पहले इन परिणामों पर विचार किया जाना चाहिए। ■

3. अयोध्या फैसले में विदेशी यात्रियों के विवरण

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में 17वीं से 19वीं सदी के बीच भारत की यात्रा करने वाले कई विदेशियों के यात्रा वृतांतों का उल्लेख किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन यात्रा वृतांतों की भी मदद ली गई।

फैसले में जोसेफ टाईफेंथेलर, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन, पी कार्नेगी, एडवर्ड थॉर्नटन और विलियम फिंच जैसे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों का उल्लेख किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लेखकों व भूगोल शास्त्रियों के यात्रा वृतांतों के अनुसार मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से पता चलता है कि भगवान राम के भक्तों की धार्मिक मान्यता वास्तविक, दीर्घकालिक गहरे विश्वास पर आधारित है जो उस स्थान पर की जाने वाली पूजा से मजबूत हुई है जिसे वे भगवान का जन्मस्थान मानते हैं। इन विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नवत विवरण दिये गए हैं।

जोसेफ टाईफेंथेलर: वह जेसुइट धर्म प्रचारक थे। टाईफेंथेलर ने अपनी पुस्तक 'डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक्वीट जियोग्राफिक डेलइंडे' में 1740 के बाद अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में लिखा है। यह समय मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के लगभग तीन दशक बाद का था। टाईफेंथेलर मंदिर को कथित तौर तोड़े जाने और उस स्थान पर एक मस्जिद बनाए जाने का उल्लेख करते हैं, विशेष रूप से हिंदुओं के पूजास्थलों के बारे में बताते हैं। जिसमें सीता रसोई, स्वर्गद्वार और उस वेदी का उल्लेख किया है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने धार्मिक उत्सवों का भी उल्लेख किया है।

विलियम फिंच: फिंच 1608 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिन्स के साथ आया। फिंच ने 1608 और 1611 के बीच अयोध्या का दौरा किया, और उन्हें इस्लामिक मूल के महत्व की कोई इमारत नहीं मिली। अदालत ने विलियम फिंच द्वारा लिखे गए यात्रावृतांत को भी संज्ञान में लिया, जिसमें उन्होंने 400 वर्ष पहले बने एक किले और उसके ध्वंसावशेषों का भी उल्लेख किया है। 'इंपीरियल गैजेटियर आफ इंडिया' एक विशाल टीले का उल्लेख करता है, जिसे रामकोट के तौर पर जाना जाता था। इसके साथ ही इसमें एक कोने के अस्तित्व का भी उल्लेख है जो वह पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था।

रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन: पीठ को 'हिस्ट्री, एंटीक्वीटीस, टोपोग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स आफ ईस्टर्न इंडिया' भी मुहैया करायी गई थी जो एंग्लो-आयरिश लेखक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन द्वारा लिखी गई है। उन्होंने यात्रा वृतांत में मंदिरों को तोड़े जाने और मस्जिदें बनाए जाने का उल्लेख किया है। न्यायालय ने कहा, 'मार्टिन ने मस्जिद में काले पत्थरों से बने स्तंभों की मौजूदगी का भी उल्लेख किया है।' 'इसमें कहा गया है कि ये एक हिंदू ढाँचे से लिए गए हैं।'

एडवर्ड थॉर्नटन: पुस्तक 'गैजेटियर ऑफ द टेरेटरीज अंडर द गवर्नमेंट आफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नेटिव स्टेट्स आन द कॉन्टीनेंट आफ इंडिया' पर भी गौर किया, जो एडवर्ड थॉर्नटन द्वारा लिखी गई है। एडवर्ड ने ध्वंसावशेषों का भी उल्लेख किया है जिसे भगवान राम का किला बताया जाता है। इससे राम मंदिर विवाद सुलझाने में काफी मदद मिली।

पी कार्नेगी: पीठ ने इसके साथ ही पी कार्नेगी द्वारा 1870 में प्रकाशित पुस्तक 'हिस्टॉरिकल स्केच आफ फैजाबाद विद ओल्ड कैपिटल्स अयोध्या एंड फैजाबाद' को भी संज्ञान में लिया। कार्नेगी फैजाबाद के कार्यवाहक आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी के तौर पर तैनात थे। कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में 1528 में मस्जिद निर्माण के लिए बाबर को जिम्मेदार ठहराया था और उनके अनुसार पूर्ववर्ती मंदिर के कई स्तंभों का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के निर्माण में किया गया था। इसमें 1855 की उस घटना का उल्लेख किया गया, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़प हुई थी।

आईने-अकबरी: बेंच ने आईने-अकबरी के अनुवाद का भी जिक्र किया, जो मुगल शासक अकबर के शासन में 16वीं सदी में पूरा हुआ था। बेंच ने कहा, आइने अकबरी अबुल फजल अल्लामी ने लिखा था, जो कि अकबर के दरबार का एक मंत्री था। आइने अकबरी को फारसी से अंग्रेजी में बलोचमन ने अनुवाद किया था। ■

4. साइकिल उद्योग के लिये विकास परिषद

सरकार ने निर्यात तथा घरेलू बाजार के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप साइकिल विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 सदस्यों की विकास परिषद् गठित की है। परिषद का कार्यकाल दो साल का होगा। यह कदम निर्यात तथा घरेलू बाजार के लिये वैश्विक मानकों के अनुरूप हल्की, स्मार्ट, मूल्यवर्धित, सुरक्षित तथा तेज प्रीमियम साइकिलों के डिजायन, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उठाया गया है। परिषद् में डीपीआईआईटी, वाणिज्य विभाग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय तथा भारतीय मानक ब्यूरो के नौ पदेन सदस्य होंगे। इसमें सात विशेषज्ञ तथा चार नामित सदस्य भी होंगे।

परिषद का कार्य

परिषद समग्र, समन्वित और निरंतर हितधारक अनुनय के माध्यम से समग्र पर्यावरण-प्रणाली के विकास पर भी ध्यान देगी, साइकिल की माँग का लाभ उठाने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए, (सुरक्षित और भिन्न) साइकिल ढाँचा और संचालन, योजनाओं और अनुकूल व्यापार नीतियों के समर्थन के माध्यम से साइकिल की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए यह अंतर-आलिया को सक्षम करना सुनिश्चित कर सकता है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय (स्वास्थ्य लाभ), पर्यावरण और वन मंत्रालय (वायु / ध्वनि

प्रदूषण मुक्त लाभ), और प्राकृतिक गैस (ऊर्जा की बचत के लाभ), इस परिषद की मदद से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (decongestion लाभ) पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा संचालित अभियानों के माध्यम से सरकार साइकिल के अविश्वसनीय लाभों को भी लोकप्रिय बनाएगी।

परिषद साइकिल निर्माण और मरम्मत की दुकानों के लिए कुशल मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास पर भी ध्यान देगी। यह भारत में साइकिल निर्माण, रीसाइक्लिंग और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपनाने हेतु सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की पहचान और अध्ययन भी करेगा।

उद्देश्य

साइकिल की मांग बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास करना तथा साइकिल उद्योग क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास और इसके उचित संचालन को सुनिश्चित करना। इसके अलावा अभिनव योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नए रूप में विकसित किया जाएगा। ■

5. निष्ठा कार्यक्रम

निष्ठा यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की तस्वीर बदलने वाली है। इस प्रशिक्षण में 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो तकरीबन 15 करोड़ बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूलों में पहले बच्चों को कंटेंट बेस्ड शिक्षा मिलती थी जो अब कंपेटेंस बेस्ड दी जाएगी।

बच्चों की क्षमता बढ़ाना ही प्रमुख उद्देश्य है जिससे वह हर तरह के समस्या समाधान के तौर तरीकों का इस्तेमाल स्वयं कर सकें। इसीलिए टीचर्स को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। निजी स्कूलों से निकलकर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। निष्ठा कार्यक्रम की नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने बताया राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में 120 लोग 35000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह ट्रेनिंग पाने वाले भी डेढ़ डेढ़ सौ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इससे छह सात महीनों में 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का टारगेट पूरा होगा। इस ट्रेनिंग में शिक्षकों को राष्ट्रीय सरोकारों, सामाजिक सरोकारों, स्कूल बेस्ड एसेसमेंट, स्वास्थ्य एवं कल्याण, कला को समेकित कर पढ़ाने की ट्रेनिंग आदि दी जाएगी। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर आनंद पूर्वक सीखने को प्रेरित करना होगा। यह अपने आप में शिक्षण प्रशिक्षण का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है।

निष्ठा योजना का उद्देश्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाएगा और उन्हें निम्नलिखित पहलुओं पर अपने कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा-

- सीखने का परिणाम।
- योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण।
- स्कूल को सुरक्षित रखने के उठाये जाने कदम।
- व्यक्तिगत सामाजिक गुण को उभारना।
- शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।
- ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए "योग"।
- लाइब्रेरी, इको-क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि की अधिक से अधिक जानकारी।
- हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण।
- पर्यावरण से संबंधित जानकारी।
- प्री-स्कूल, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। ■

6. नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने औद्योगिक नीति का शुरुआती प्रारूप तैयार किया है, जिसके तहत देश के विनिर्माण क्षेत्र में मूल्यवर्धन को 2025 तक 1,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी उपक्रम बनाने की योजना है जो रोजगार सृजन और सतत विकास को प्रोत्साहन देगा।

यह नीति वृहद राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रोत्साहन की व्यवस्था उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करे। नीति के मसौदे में कहा गया है कि इसके जरिये उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की स्थिति सुधरेगी। यह नीति निवेश की गुणवत्ता और मात्रा के बीच संतुलन बैठाने का भी काम करेगी।

देश को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। नई औद्योगिक नीति का निर्माण उद्योग के 4.0 के अनुसार किया जा रहा है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीति उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी।

नयी नीति 1991 की औद्योगिक नीति का स्थान लेगी। 1991 में औद्योगिक नीति भुगतान संतुलन के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी। यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी। इससे पहले दो बार 1956 और 1991 में औद्योगिक नीति बनाई गई थी।

इस नीति के अनुसार देश में कंपनियों को कारोबार के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी जिससे प्रक्रियाओं को और सुगम किया जा सकेगा।

इस नीति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के उद्यमियों को कर्ज प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ऋण गारंटी कवरेज का दायरा बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। नई नीति के तहत कंपनी जमीन और उपकरण लॉन्ग कांट्रैक्ट बेसिस पर लीज पर ले सकेंगे।

इससे उत्पादन शुरू करने में न सिर्फ लागत कम आएगी, बल्कि समय भी बचेगा। सुधार का यह कदम देश में 100 अरब डॉलर से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का प्रयास कर पायेगा। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा भारत में कुल उद्योग में छोटे एवं मझोले

उद्योगों की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से नई औद्योगिक नीति के लिए बनाई गई वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के सचिव होंगे। वहीं इस कमेटी में सात राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है। इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, असम एवं महाराष्ट्र भी शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक संगठनों के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य भी कमेटी में शामिल किये गए हैं।

■

7. सुरंगा बावड़ी

हाल ही में कर्नाटक में स्थित सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक कोष (World Monuments Fund-WMF) ने विश्व स्मारक निगरानी सूची-2020 में शामिल किया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 के लिए इस सूची में 25 स्थलों का चयन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- यह विजयपुरा (कर्नाटक) में स्थित है। यह प्राचीन करेज सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। सुरंगा बावड़ी का निर्माण 16 वीं शताब्दी में विजयपुरा के आदिलशाही वंश के आदिल शाह-I द्वारा किया गया था।
- इस प्रणाली का उद्देश्य कर्नाटक के विजयपुरा में पानी की आपूर्ति करना था।
- विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल होने के बाद विश्व स्मारक कोष द्वारा इस बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करेंगे।

करेज प्रणाली क्या है

- करेज प्रणाली में पानी को दोहन करने की एक विधि है जिसमें भूजल को एक सुरंग द्वारा सतह पर लाया जाता है।
- इस प्रणाली में किसी भी यांत्रिक पंप या लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। भूमिगत स्रोत से पानी अकेले गुरुत्वाकर्षण द्वारा लाया जाता है।
- यह प्रौद्योगिकी फारस और ईरान में उत्पन्न हुई। मध्ययुगीन काल के दौरान इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।
- इस सुरंग द्वारा शहर के लगभग 12 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र को पानी की आपूर्ति की जाती थी।

विश्व स्मारक कोष

- विश्व स्मारक कोष 1965 में स्थापित किया गया था। यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जो विश्व की महत्वपूर्ण स्मारकों की निगरानी करता है।
- द वर्ल्ड मान्यूमेंट्स वांच सांस्कृतिक विरासत स्थलों का द्विवार्षिक चयन कार्यक्रम चलाता है।
- यह 1996 में विश्व स्मारक निधि की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्थापित किया गया था ताकि लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को मान्यता दी जा सके तथा उनके संरक्षण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।

■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ

- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने नयी दिल्ली में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष (बीपीकेके) का शुभारंभ किया।
- यह कोष बेहतर पोषण परिणामों के लिए भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा।
- इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाने माने कृषि वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना लागू करने की बात कही जिसमें-
    - महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए कैलोरी से भरपूर आहार सुनिश्चित करना,
    - महिलाओं और बच्चों में भूखमरी खत्म करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन का शामिल किया जाना,
    - विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन तथा जिंक जैसे माइक्रो न्यूंट्रीएंट की कमी की वजह से होने वाली छिपी भूख को खत्म करना,
    - स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
    - 100 दिन से कम आयु के बच्चों वाले गाँवों में महिलाओं को पोषण के बारे में जागरुक बनाना
- गौरतलब है कि बच्चों में पोषक तत्वों की कमी न केवल उनके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करती है बल्कि उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। सरकार ने जल शक्ति के नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया है, जो अब देश के हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। सरकार ने कहा कि मजदूरी के नुकसान की भरपाई करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ 10 मिलियन लाभार्थियों तक पहुँचाया गया जिससे 2013 से मातृ मृत्यु दर में 26.9 प्रतिशत की कमी आई है।

2. लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का उद्घाटन

- गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया। इससे अत्यंत ठंड के मौसम में डीजल ईंधन के जम जाने के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
- पानीपत रिफाइनरी द्वारा पहली बार उत्पादित विंटर ग्रेड डीजल इस क्षेत्र में -33 डिग्री तापमान में भी नहीं जमता, जबकि सामान्य ग्रेड के डीजल के इस्तेमाल में कठिनाई होती है।
- सरकार 2014 से लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित था। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- लद्दाख अधिनियम में बदलाव करके, स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद को अधिक बजट देने के अलावा अधिक स्वायत्तता भी दी गई। अब स्थानीय करारोपण की शक्ति मिलने से वे खुद वित्तीय संसाधन भी जुटा पाएंगे।
- बिजली के लिए श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, लेह एवं करगिल के लिए 14 सोलर परियोजनाओं, लद्दाख विश्वविद्यालय, दो नये महाविद्यालयों, दो नये टर्मिनलों, पाँच नये टूरिस्ट सर्किटों और पर्यटकों तथा पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकों, 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित विमान यात्रा सब्सिडी एवं जिला अस्पताल के उन्नयन सहित अन्य कार्य भी सरकार द्वारा किये गए हैं।
- यहाँ 9 मेगावॉट पनबिजली परियोजना के अलावा, 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत की सबसे बड़ी 7,500

मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना अगले चार वर्षों में पूरी होगी। इससे लद्दाख क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

- विंटर ग्रेड डीजल से अत्यन्त ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

3. आदि महोत्सव 2019

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'आदि महोत्सव 2019' का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश के 40% भूभाग और 8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी समाज का स्वतंत्रता आदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- गौरतलब है कि सरकार ने 180 करोड़ रुपए खर्च कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को डिजिटल संग्रहालय के रूप में संग्रहित करने का काम किया है।
- सरकार ने कहा कि हो सकता है कि आदिवासी समाज के पास संसाधन कम हों, उसके पास रहने की सुविधा न हो किंतु उसके आनंद में कमी नहीं होती इसका प्रमुख कारण यह है कि वह प्रकृति के सहारे जीने में विश्वास रखता है।
- आज प्रकृति के शोषण का परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदूषण बढता जा रहा है लेकिन आदिवासी समाज के कारण देश का इतना बड़ा वन क्षेत्र संरक्षित है और संवर्द्धित है।
- आदिवासी क्षेत्र देश का फेफड़ा है और देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। सरकार ने आदिवासी समाज को प्राथमिकता के साथ मंच प्रदान करने का काम किया है जो उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह महोत्सव 16-30 नवम्बर तक चलेगा जिसकी थीम है- आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव।
- सरकार ने कहा कि सभी को रहने के लिए घर, हर गरीब को 500000 तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया गया है जिसका सबसे बड़ा फायदा जनजाति समाज को होने वाला है।
- आदिवासी समाज के लिए बजट का आवंटन 2012-13 में 3800 करोड़ के आसपास था जिसे बढाकर 2019-20 में 6894 करोड़ किया गया।
- सरकार दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अंत्योदय योजना पर काम कर रही है और उसका मानना है कि देश के खजाने पर गरीब का सबसे पहला अधिकार है। सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्परत है।

4. इंडिया पवेलियन

- केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी) में 'इंडिया पवेलियन' का उद्घाटन किया।
- विदित हो कि भारत में ऊर्जा की व्यापक मांग है और यह आने वाले दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग का एक वाहक साबित होगी। सरकार ने कहा कि दरअसल हमारे द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के बावजूद अगले दो दशकों में हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में तेल एवं गैस पहले ही की तरह निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।
- भारत का फोकस तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने पर है, क्योंकि भारत परिशोधन, पाइपलाइनों और गैस टर्मिनलों में वर्ष 2024 तक 100 अरब डॉलर निवेश करेगा।
- राजनीतिक स्थिरता, अपेक्षा के अनुरूप नीतियों और विशाल विविध बाजार की बदौलत भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य या देश है। भारत में ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए प्रवेश संबंधी मानकों को उदार बना दिया है। इससे ईंधन की खुदरा (रिटेल) बिक्री के क्षेत्र में नए कारोबारियो या कंपनियों के प्रवेश के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- भारत एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने संबंधी विजन को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ एवं अधिक हरित परिवेश सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर हो रहा है। इसके लिए गैस आधारित बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं जैसे कि सीजीडी एवं पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने और गैस आधारित उद्योगों में निवेश करने पर काम किया जा रहा है।
- मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में व्यापक बदलाव कई कारणों से दिख रहे हैं, जिनमें ऊर्जा खपत के केन्द्र के रूप में एशिया का उभरना, एलएनजी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के जरिये ऊर्जा की आजादी का व्यापक वादा, एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन निर्यातक के रूप में अमेरिका का उभरना और 'सीओपी 21 पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं' को पूरा करने की अनिवार्यता शामिल है।

5. राज्यसभा की भूमिका एवं भविष्य

- राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें अधिवेशन के पहले दिन सदन में 'भारतीय शासन प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका एवं भविष्य के मार्ग' विषय पर चर्चा की गई।
- उपराष्ट्रपति ने देश में कार्य प्रणाली को सुधारने में राज्यसभा की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा में कमी, औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास में कमी, सामाजिक रूढ़िवाद, बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी आदि से प्रभावित स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक विकास के एक अग्रणी ईंजन तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के अलावा जटिल वैश्विक प्रणाली में एक आवाज के रूप में देश की पहचान कायम होने तक का साक्षी है।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदन की अब तक की यात्रा के बारे में सामूहिक तौर पर चित्रण के साथ ही सदन के 250वें अधिवेशन के ऐतिहासिक अवसर पर खोए अवसरों के बारे में एक नेक चिंतन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम इसमें विफल साबित हुए तो हमारे सामने खुद को असंबद्ध साबित करने का जोखिम होगा।
- उपराष्ट्रपति ने सदन की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सदन के सदस्यों के लिए विचारार्थ 10 सुझाव दिये। उनके सुझाव निम्नानुसार हैं-
  - सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानों की प्रकृति एवं संख्या तथा उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष में लगभग 60-70 दिनों तक सदन की बैठक में पर्याप्त संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित हो।
  - सदन के क्रियाकलाप की मौजूदा नियमावली एवं आवश्यकतानुसार बदलाव का अनुसरण हो।
  - विधायी प्रस्तावों और जन सरोकार के मुद्दे को उठाने के बारे में सदस्यों के विचारों को प्रस्तुत करने में उनके लिए उपलब्ध अनेक मौजूदा प्रावधानों का अनुसरण एवं प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित हो।
  - सदन में मौजूदा प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुसरण सुनिश्चित हो।
  - चर्चाओं में सदस्यों की समानता आधारित एवं व्यापक भागीदारी कायम करने के लिए मानदंडों का अनुसरण सुनिश्चित हो।
  - यह सुनिश्चित हो कि सदन में ऐसे लोगों को भेजा जाए जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी हो और वे सदन में चर्चा को जीवंत बना सकें।
  - सदन के सुचारू क्रियाकलाप के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में सदस्यों को आत्मानुशासित होना चाहिए।
  - सदन की चर्चा में सार्थक योगदान में सक्षम सदस्यों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
  - सभी प्रक्रियाओं और विभाग संबंधी स्थाई समितियों एवं अन्य समितियों की बैठकों के दौरान सदन में सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित हो।
  - सदस्यों के क्रियाकलाप में सुधार लाने और सदन की प्रक्रियाओं को जीवंत बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई जाए।
- गौरतलब है कि 13 मई, 1952 को पहली बैठक से लेकर सदन ने पिछले 249वें अधिवेशन तक 5466 बैठकें कीं और 3917 विधेयक पारित किये हैं।

6. पत्रकारिता राष्ट्र के लिए एक पवित्र मिशन

- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मीडिया से आग्रह किया कि खबरों को विचारों के रंग में नहीं रंगना चाहिए। उन्होंने वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'समाचार कक्ष की निष्पक्षता और पवित्रता को हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहिए।
- उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवम्बर) के अवसर पर नई दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पाठकों और दर्शकों के लिए निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सटीक और संतुलित सूचना प्रस्तुत करने के लिए पत्रकारों को पत्रकारिता के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए द्वारपाल की भूमिका निभानी चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'फर्जी समाचार' के मामले आने के बाद और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रभाव पैदा करने के बाद वर्तमान समय में यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होने कहा कि सनसनीखेज, पक्षपाती कवरेज और पेड न्यूज मीडिया आधुनिक चलन बन गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में राय देने वाली रिपोर्टिंग को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं कहा जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि व्यापारिक समूह और यहां तक कि राजनीतिक दल अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए समाचार पत्र और टीवी चैनल स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इससे पत्रकारिता के मूल उद्देश्य खत्म हो रहे हैं।

- उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को अविभाज्य नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को न केवल लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए बल्कि उसे दलित वर्ग के सच्चे चैंपियन के रूप में भी काम करना चाहिए। उसे समाज को त्रस्त करने वाली बीमारियों से लड़ाई के मोर्चे पर होना चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वषों में मीडिया परिदृश्य वर्षों में नाटकीय बदलाव आया है और यही पत्रकारिता के मूल्य है। पहले पत्रकारिता को राष्ट्र की सेवा के लिए एक मिशन माना जाता था।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया संस्थाानों को पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र की रक्षा करने और समाज के बड़े भलाई के लिए पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के मद्देनजर हमें इस महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सच्चाई से कभी समझौता नहीं किया जाता है।
- उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन ने सूचना की उपलब्धता का लोकतांत्रीकरण किया है। हालांकि सूचना की चमक भी नकली समाचार और नकली कहानी गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को इस तरह की खबरों और नकली आख्यानों से बचना चाहिए क्योंकि उनका इस्तेमाल निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए हमारे बहुलवादी समाज में विघटन और विभाजन पैदा करने में किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति ने मीडिया से कृषि जैसे विकास समाचार एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को समाचार में अधिक से अधिक स्थान प्रदान करने की अपील की।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल कानून बनाने से अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने मीडिया से आह्वान किया कि वह भ्रष्टाचार और लैंगिक एवं जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता पर जनता की राय बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाए।

7. मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड - भारत-फ्रांस सहयोग की अनूठी मिसाल

- भारतीय रेलवे ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (एमईएलपीएल) के साथ खरीद-सह-रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय रेलवे और मेसर्स अल्सटॉम का एक संयुक्त उद्यम है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) परियोजना के तहत रेल मंत्रालय और अल्सटॉम ने भारत में भारी माल की ढुलाई से जुड़े परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिए आपस में गठबंधन किया था।
- माल ढुलाई तथा इससे संबंधित रखरखाव हेतु 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- मेसर्स अल्सटॉम ने मार्च, 2018 में लोकोमोटिव का प्रारूप पेश किया। इसके परीक्षण से जुड़े परिणामों के आधार पर अल्सटॉम ने नये सिरे से डिब्बों (बोगी) सहित संपूर्ण लोकोमोटिव की डिजाइनिंग की है।
- अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने मधेपुरा फैक्ट्री में लोकोमोटिव के नये डिजाइन का निरीक्षण किया और फिर इसके बाद फैक्ट्री से इसकी रवानगी को मंजूरी दे दी है और अपनी योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में 10 लोकोमोटिव, वित्त वर्ष 2020-21 में 90 लोकोमोटिव और फिर मार्च, 2021 के बाद हर वर्ष 100 लोकोमोटिव तैयार होंगे। किसी भी रेलवे द्वारा दुनिया में पहली बार बड़ी लाइनों के नेटवर्क पर इतनी अधिक हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का परीक्षण किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत बिहार के मधेपुरा में टाउनशिप के साथ यह फैक्ट्री स्थापित की गई है, जहां प्रति वर्ष 120 लोकोमोटिव का निर्माण करने की क्षमता है।

परियोजना से लाभ

- भारतीय रेलवे ने 22.5 टन के एक्सरल लोड से युक्त और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली 12,000 हॉर्स पावर के ट्विन बो-बो डिजाइन वाले लोकोमोटिव को हासिल करने का निर्णय लिया है, जिसे बढ़ाकर 25 टन तक किया जा सकता है।
- यह लोकोमोटिव समर्पित माल-ढुलाई गलियारे के लिए कोयला चालित ट्रेनों की आवाजाही के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस परियोजना के सफल होने पर भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकोमोटिव (रेल-इंजन) के कलपुर्जों के लिए सहायक इकाइयों (यूनिट) का और भी तेजी से विकास होगा।
- इस परियोजना से भारी माल वाली रेलगाड़ियों की त्वरित एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी।

ooo

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. शिनजियांग प्रांत

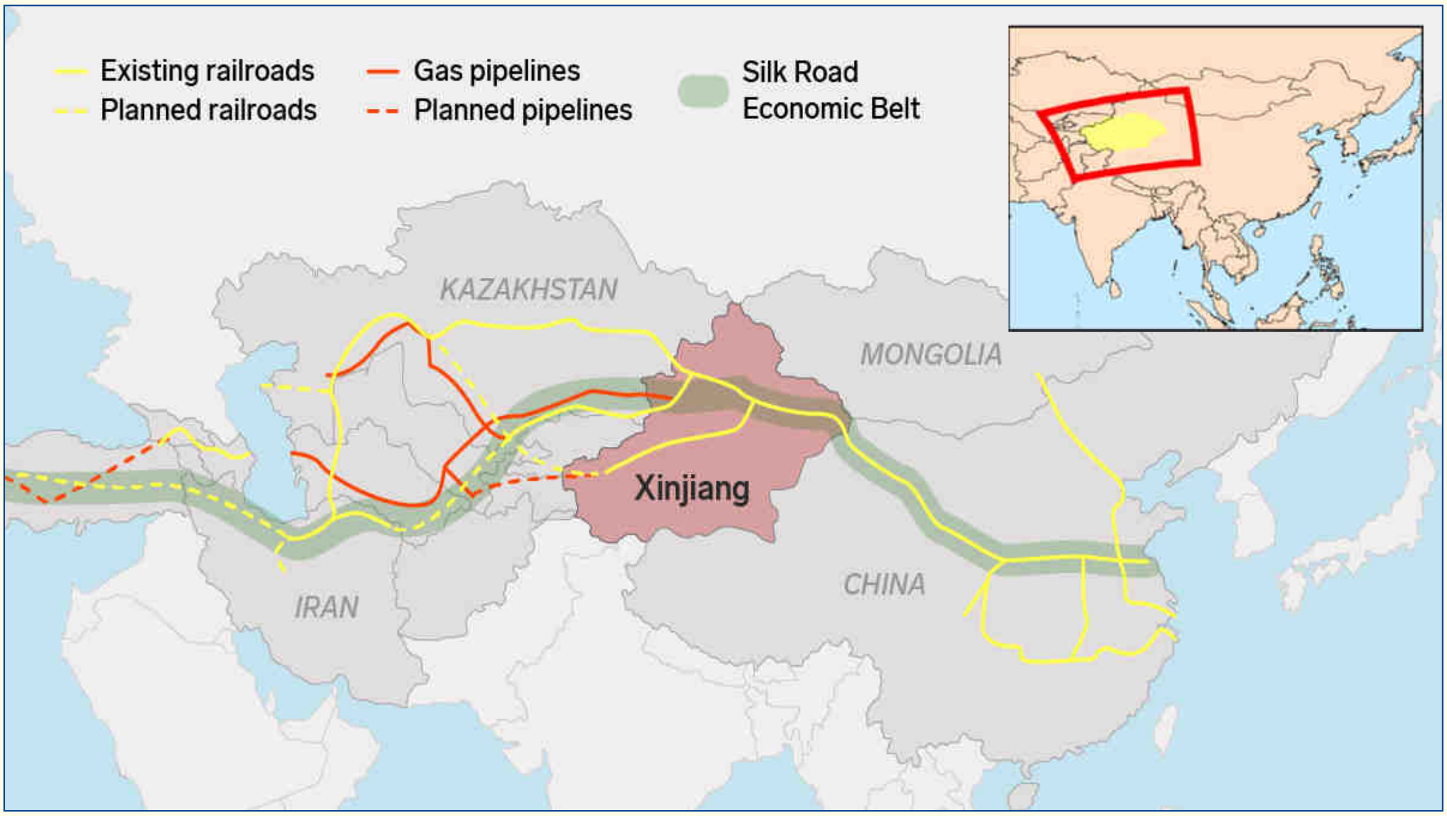

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में चीन ने अपने अशांत मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में एक नई आतंकवाद रोधी विशेष अभियान इकाई गठित की है। इस प्रांत में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि चीन की दो अन्य आतंकवाद-रोधी कमांडो इकाइयां गुआंगजो स्थित स्नो लेपर्ड यूनिट, जिसे 2002 में स्थापित किया गया था और 1982 में स्थापित बीजिंग की फाल्कन यूनिट हैं।
- चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग रहते हैं। यह एक तुर्क जातीय समूह भी है।
- इतिहासकारों के मुताबिक उइगर पूर्वी और मध्य एशिया के इलाकों में रहते आये हैं। इस्लाम इनके जीवन और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इनकी भाषा तुर्की से संबंधित रही है और वे खुद को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते रहे हैं।
- दरअसल आज का शिनजियांग साल 1949 से पहले तुर्किस्तान का पूर्वी हिस्सा था। 1949 में इसे एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही और उसी साल चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया।
- चीनी कब्जे के विरोध में तभी से शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका मकसद चीन से अलग होना है।
- चीन ने शिनजियांग प्रांत को स्वायत्त घोषित कर रखा है। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित आठ देशों के साथ मिलती है। विदित हो कि तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी एक करोड़ से ऊपर है।
- उइगर समुदाय को संतुलित करने के लिए चीन की सरकार ने हान समुदाय के लोगों को बसाना शुरू किया है। साथ ही चीन की सरकार ने यहाँ के ऊंचे पदों पर भी हान समुदाय के लगों को बिठाया है। उइगरों का कहना है कि चीन की वामपंथी सरकार हान चीनियों को शिनजियांग में इसीलिए भेज रही है ताकि उइगरों के आंदोलन 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' को दबाया जा सके।

2. गोलन हाइट्स

महत्वपूर्ण तथ्य

- गोलन हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र इजरायल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। यह इलाका रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अहम है।
- यह सीरिया और इजरायल दोनों देशों पर विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जिससे इस इलाके का सामरिक महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। इजरायल ने गोलन हाइट्स के 1,150 वर्ग किमी. (440 वर्ग मील) पर कब्जा कर रखा है।
- सीरिया के मुताबिक गोलन हाइट्स 1,860 वर्ग किमी. (718 वर्ग मील) का क्षेत्र है, जिसमें से 1,500 वर्ग किमी. (580 वर्ग मील) पर इजरायल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गौरतलब है कि इजरायल ने 1967 में सीरिया के साथ छह दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था।
- उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना-अपना घर छोड़कर चले गए। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य-पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजरायल को भारी नुकसान पहुँचाने के बावजूद भी सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा।

3. अल-बाकुरा एवं अल-घमर

महत्वपूर्ण तथ्य

- जार्डन के सुल्तान ने 11 नवम्बर को घोषणा की कि इजरायल द्वारा पट्टे पर ली गई जमीन के दो टुकड़े (अल-बाकुरा और अल-घमर) जॉर्डन की 'पूर्ण संप्रभुता' को वापस कर दिए जाएंगे।
- गौरतलब है कि 1946 तक अल-बाकुरा और अल-घमर जॉर्डन के हिस्से में थे किन्तु अरब-इजराइल के युद्ध के पश्चात् ये दोनों क्षेत्र इजराइल के अधीन आ गए। 11 नवम्बर को जैसे ही पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, वैसे ही सीमा पर फाटक बंद कर दिए गए।

- जॉर्डन से प्रकाशित समाचारों में ने बताया गया कि इजरायल को इस भूमि पर प्रवेश से रोक दिया गया। इसे जॉर्डन और इजरायल के बीच बिगड़ते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
- इजराइल का 70 वर्षों से अधिक समय से कृषि भूमि पर कब्जा है। 1994 के शांति समझौते के तहत इन क्षेत्रों को इस धारणा के साथ पट्टे पर देने की अनुमति दी गई थी कि इसे एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुल्तान की घोषणा से इसके खत्म होने और जार्डन के इसी वर्ष इलाके पर नियंत्रण कर लेने के आसार हैं।
- 1994 की शांति संधि के तहत इजरायल के किसान नहरईम और तजोफर के जार्डन क्षेत्रों में भूमि पर खेती कर सकते थे। इसे अरबी में बाकुरा और घमर के रूप में जाना जाता है।

4. कालापानी

महत्वपूर्ण तथ्य

- 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद औपचारिक रूप से देश का एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित कालापानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के अंदर दिखाया गया है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज करायी है।
- कालापानी कैलास मानसरोवर को जाने वाले रास्ते में 3,600 मीटर की ऊँचाई पर पड़ता है। इसके एक ओर उत्तराखंड है तो दूसरी ओर नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश है।
- गौरतलब है कि 1816 में नेपाल और ब्रिटेश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सुगौली संधि की थी जिसमें काली नदी को नेपाल की भारत से लगने वाली सीमा पर माना गया था। इस मानचित्र में रिजलाइन (ridgeline) का कोई उल्लेख नहीं है।

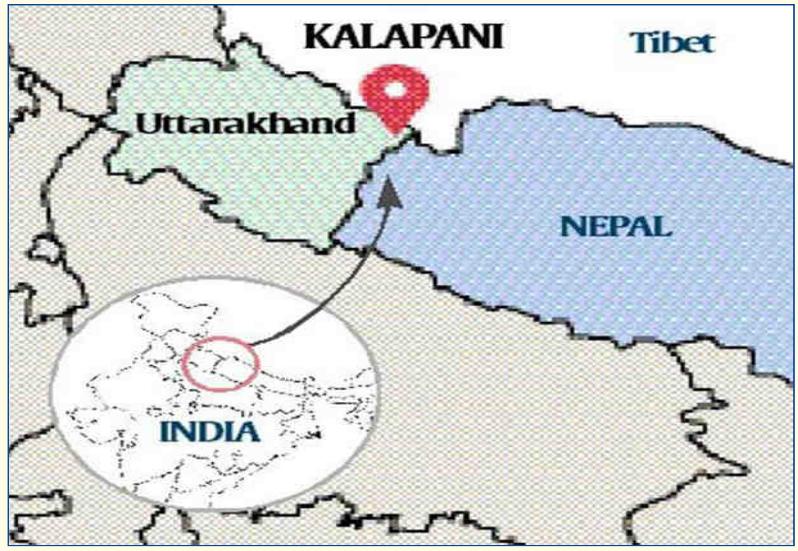

- बाद में कई ऐसे मानचित्र बने जिनमें ब्रिटेन के सर्वेक्षणकर्ताओं ने काली नदी का उद्गम कभी यहाँ तो कभी वहाँ दिखाया। इस कारण काली नदी के उद्गम को लेकर अस्पष्टता बनी रही जिस कारण दोनों देशों में सीमा को लेकर विवाद होने लगा।
- नेपाल के अनुसार कालापानी एक विवादित इलाका है उसका कहना है कि कालापानी और लिपुलेख को उसने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कम्पनी से एक समझौते के अन्तर्गत हासिल किया था।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र का सटीक चित्रण है और पड़ोसी देश के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है।

5. सर क्रीक

महत्वपूर्ण तथ्य

- सर क्रीक (Sir Creek) गुजरात और सिंध (पाकिस्तान) के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है।
- भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इस विवादित पट्टी का सर क्रीक नाम इसमें पाई जाने वाली 'सीरी' नामक मछली के नाम पर पड़ा है।
- साल 2005 में सर क्रीक क्षेत्र का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था जिसमें कच्छ और सिंध के अधिकारियों के लगाए हुए सीमा स्तंभों की पहचान करने की कोशिश की गई थी।

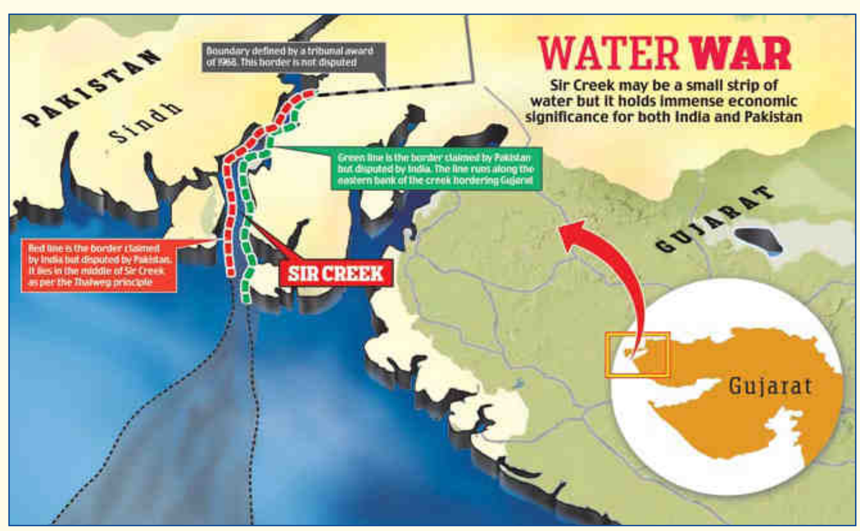

- सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है और यहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं होता कि कितने हिस्से में पानी रहेगा और कितने में नहीं। दूसरे शब्दों में सर क्रीक दोनों देशों के बीच अस्थिर सीमा है। इस कारण दोनों देशों के मछुआरों के लिए अच्छी-खासी मुसीबत बनी हुई है जो असावधानी से सीमा उल्लंघन कर बैठते हैं।
- सर क्रीक अरब सागर में स्थित है, जबकि इसके आगे का दलदली इलाका, जो बोर्डर पिलर नंबर 1175 पर खत्म होता है, वो 36.4 किलोमीटर का है। यह एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है।

6. उत्तरी सीरिया

महत्वपूर्ण तथ्य

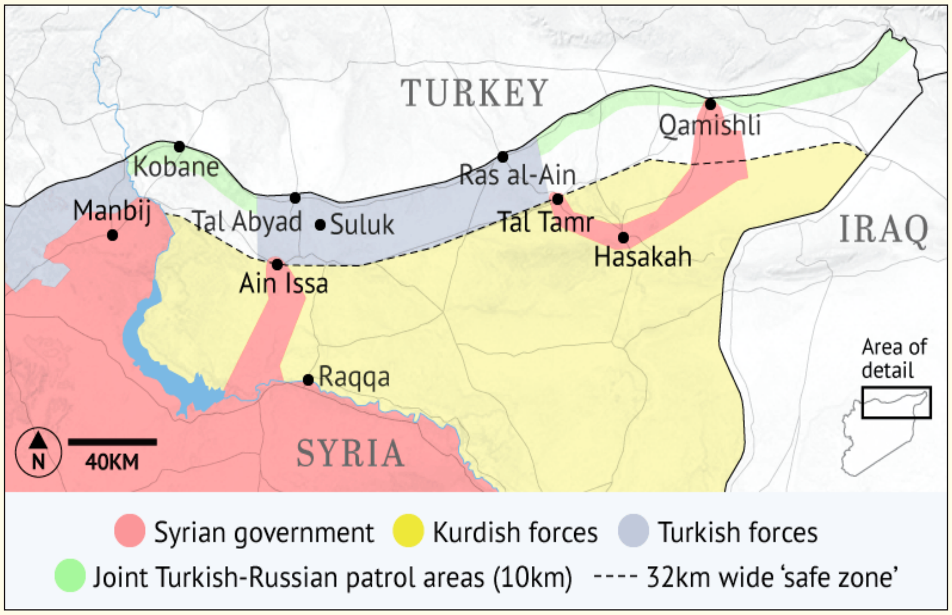

- हाल ही में सीरिया के उत्तर-पूर्व क्षेत्र और तुर्की के सीमाई क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तुर्की ने इन क्षेत्रों में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की है, जिसे उसने 'ऑपरेशन पीस स्प्रिंग' (Operation Peace Spring) नाम दिया है।
- कुर्द पश्चिम एशिया या मध्य-पूर्व का एक नृजातीय समूह (Ethnic Group) है जो वर्तमान में कई देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, ये देश हैं- तुर्की (दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र), सीरिया (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र), ईरान (उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र), इराक (उत्तरी क्षेत्र) और आर्मेनिया (दक्षिणी क्षेत्र)।
- कुर्द लोगों द्वारा ऐतिहासिक रूप से समय-समय पर कुर्दिस्तान रूपी राष्ट्र के गठन की माँग उठायी जाती रही है जिसमें वह तुर्की का दक्षिण पूर्वी-क्षेत्र, सीरिया का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, ईरान का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, इराक का उत्तरी क्षेत्र और आर्मेनिया का दक्षिणी क्षेत्र शामिल करने की बात करते हैं अर्थात् जहाँ-जहाँ कुर्द जनसंख्या बाहुल्य रूप से निवास करती है उसे वह कुर्दिस्तान में शामिल करते हैं।
- सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तुर्की अपनी सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ एक 'सुरक्षित क्षेत्र' का निर्माण करना चाहता है, इसीलिए वह इस क्षेत्र से अपने विरोधी 'कुर्दों' को खदेड़ रहा है। संरक्षित क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी सीरिया क्षेत्र में तुर्की सीमा के साथ-साथ लगभग 480 किमी लम्बा और 32 किमी चौड़ा एक पट्टीनुमा क्षेत्र होगा।

7. दोक्दो द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया ने विवादित द्वीप दोक्दो की सुरक्षा के लिए दो दिवसीय ड्रिल का आयोजन किया था, जिस पर जापान ने आपत्ति जताई थी।
- गौरतलब है कि 1945 में कोरिया से जापान का शासन समाप्त होने के बाद से दोक्दो द्वीप पर दक्षिण कोरिया का नियंत्रण है।
- हालांकि जापान इस द्वीप पर अपना दावा करता है, जापान का मानना है कि दक्षिण कोरिया ने इस द्वीप पर अवैध रूप से कब्जा किया है।
- जापान ने कहा कि दक्षिण कोरिया अवैध रूप से प्रायद्वीप के पूरब में स्थित चट्टानी द्वीपों पर कब्जा कर रहा है। यह ऐसा मसला है जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में लंबे समय से खटास रहा है।
- समुद्र से दूर स्थित इस द्वीप का प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य हमेशा से अनोखा रहा है। साथ ही यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

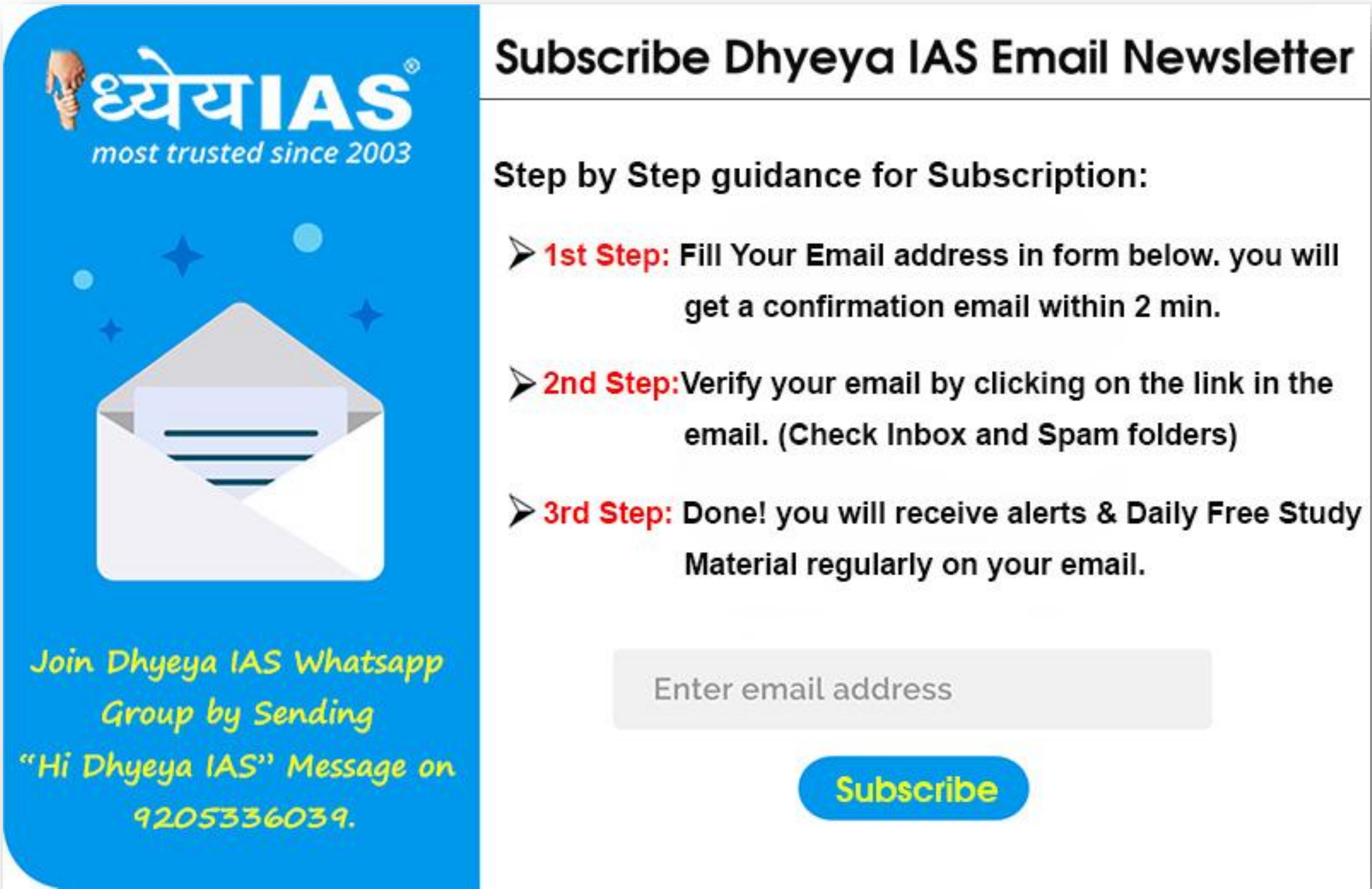

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400